बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
जयपुर

भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति

(निविदा संख्या: RBI/Jaipur Regional office/HRMD/3/25-26/ET/324)

I. ई-निविदा आमंत्रण सूचना
(केवल ई-खरीद के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर में वर्ष 2025-26 के लिए 01 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु ई-निविदा आमंत्रण

यह नोटिस केवल सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और इस सीमित निविदा में उद्धरण देने के लिए खुला निमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण द्वारा की जाती है और चयनित/पात्र फर्मों तक सीमित है। अवांछित प्रस्तावों को अनदेखा किया जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर (इसके बाद "बैंक" कहा गया है), भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के साथ राजस्थान राज्य के लिए पंजीकृत श्रेणी-I चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों से वर्ष 2025-26, 01 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक, के लिए बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षकों (सीए) के रूप में नियुक्ति के लिए दो-कवर बोली के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। हालांकि, नियुक्ति को दूसरे वर्ष (01 अक्टूबर, 2026 से 30 सितंबर, 2027 तक) और तीसरे वर्ष (01 अक्टूबर, 2027 से 30 सितंबर, 2028) के लिए समान नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत किया जा सकता है, जो सीए के प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा के दौरान संतोषजनक मूल्यांकन के अधीन है।

आवेदकों को ई-निविदा के संबंध में निर्देशों के अनुसार, निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण सभी सहायक दस्तावेजों के साथ 11 अगस्त, 2025 को सुबह 11:00 बजे या उससे पहले अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। भाग-I (तकनीकी बोली) 11 अगस्त, 2025 को शाम 04:00 बजे इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। ऊपर बताई गई किसी भी तारीख को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लेखित संबंधित उद्देश्य के लिए संचालित किया जाएगा।

निविदा दस्तावेज हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर 'निविदा' लिंक के साथ-साथ www.mstcecommerce.com यानी एमएसटीसी पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आवेदकों को उपरोक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन / शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट / ई-पोर्टल की जांच करते रहना चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
जयपुर

II. निविदा अनुसूची (एसओटी)

नोट: यह एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से एक सीमित निविदा है। राजस्थान राज्य के लिए आईसीएआई के साथ श्रेणी-I पंजीकृत समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म, जिनका पंजीकृत/प्रधान कार्यालय जयपुर में है, ई-निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पात्रता की जाँच के लिए पहले बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर "निविदाएँ" लिंक पर जाएँ। आवेदन करने की इच्छुक पात्र फर्मों को एमएसटीसी पोर्टल (www.mstcecommerce.com) पर अपना पंजीकरण कराना होगा और केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।

क	ई-निविदा सं.	RBI/Jaipur Regional office/HRMD/3/25-26/ET/324
ख	निविदा का नाम और तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II वित्तीय बोली के माध्यम से www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi)
ग	ई-निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि आरबीआई वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है	22 जुलाई 2025; दोपहर 04:00 बजे
घ	एमएसटीसी पोर्टल पर ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) ऑनलाइन जमा प्रारम्भ होने की तिथि	22 जुलाई 2025; दोपहर 04:00 बजे
ड़	ई-मेल के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगने की अंतिम तिथि (निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी चीज़ के अर्थ के बारे में)	31 जुलाई, 2025; प्रातः 11:00 बजे
च	बोली-पूर्व बैठक	**ऑफ़लाइन मोड:** 31 जुलाई 2025, सुबह 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, द्वितीय तल, भारतीय रिज़र्व बैंक, रामबाग सर्किल, टोंक रोड, जयपुर, 302004
छ	निविदा का अनुमानित मूल्य अर्थात न्यूनतम पारिश्रमिक शुल्क (प्रति माह)	₹94,000/- प्रति माह (सभी लागतों सहित और जीएसटी को छोड़कर) यानी, 12 महीनों के लिए ₹11,28,000/- (सभी लागतों सहित और जीएसटी को छोड़कर)
ज	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	अनुमानित लागत का 2% अर्थात **₹22,560/-** (रुपये बाइस हज़ार पाँच सौ साठ मात्र) **NEFT** के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। **लाभार्थी का विवरण:** i. लाभार्थी चालू खाता संख्या: 186003001 ii. IFSC कोड: RBIS0JPPA01 (कृपया पाँचवें और दसवें अक्षर को शून्य पढ़ें) iii. लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर iv. टिप्पणी: 2025-26 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति

		EMD जमा करने का प्रमाण MSTC पोर्टल पर अपलोड किया जाना है और स्कैन की गई प्रति निविदा के बंद होने से पहले abccjaipur@rbi.org.in पर भेजी जानी है।
झ	कार्य-प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG)	अनुमानित लागत के 5% के बराबर राशि अर्थात **₹56,400/-** (रुपये छप्पन हजार चार सौ मात्र) के लिए निष्पादन बैंक गारंटी फर्म (सफल बोलीदाता) से अनुबंध अवधि के लिए प्राप्त की जाएगी।
ण	लेन-देन शुल्क (महत्वपूर्ण नोट: कृपया ध्यान दें कि फर्मों को लेन-देन शुल्क प्राप्त होने के बाद ही ई-निविदा तक पहुँच प्राप्त होगी)	एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान, एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से किया जाएगा।
ट	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	10 अगस्त 2025; शाम 05:00 बजे
ठ	ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि और समय	11 अगस्त 2025; प्रातः 11:00 बजे
ड	भाग-I (तकनीकी बोली) खोलने की तिथि एवं समय	11 अगस्त 2025, शाम 04:00 बजे
ण	भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन्हीं बोलीदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) बैंक द्वारा स्वीकार्य पाई जाएगी। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा दी गई वैध ईमेल आईडी के माध्यम से भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि के बारे में सूचित किया जाएगा।

1. यह सूचना केवल सूचना के लिए प्रकाशित की जा रही है और इस सीमित निविदा में बोली लगाने के लिए खुला निमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण द्वारा है और चयनित क्रयकर्ता संस्था के सूचीबद्ध ठेकेदारों तक सीमित है। अवांछित प्रस्तावों को अनदेखा किया जा सकता है।

2. उपर्युक्त किसी तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, यहां उल्लिखित संबंधित प्रयोजन के लिए अगला कार्य दिवस प्रभावी होगा।

3. निविदा में भविष्य में कोई संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट जैसा कि ऊपर दिया गया है पर अधिसूचित किया जाएगा और इसे समाचारपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

भारतीय रिज़र्व बैंक
जयपुर

22 जुलाई 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर द्वारा वर्ष 2025-26 (01 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026) के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु ई-निविदा

(निविदा संख्या: आरबीआई/जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/3/25-26/ईटी/324)

अस्वीकरण

लेखा परीक्षा, बजट और समन्वय कक्ष (एबीसीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर, (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) ने भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के लिए 01 अक्तूबर 2025 से वर्ष 2025-26 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए बोली लगाने की इच्छुक पार्टियों को पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। समवर्ती लेखा परीक्षकों (सीए) की नियुक्ति शुरू में 01 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए होगी। हालाँकि, सीए के प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा में संतोषजनक मूल्यांकन के अधीन, समान नियमों और शर्तों पर क्रमशः दूसरे वर्ष (01 अक्टूबर, 2026 से 30 सितंबर, 2027) और तीसरे वर्ष (01 अक्टूबर, 2027 से 30 सितंबर, 2028) के लिए नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है।

जबकि बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और यह भी मानतें हैं कि यह सही है, फिर भी न तो बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसियों, या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी, व्यक्त या निहित, या कोई भी जानकारी जो इसके साथ प्रदान की जा सकती है, की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी नहीं देते हैं।

सन्निहित जानकारी संपूर्ण होने का दावा नहीं किया जाता है। इच्छुक पक्षों को स्वयं पूछताछ करनी होगी और प्रतिवादियों को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे आवेदन प्रस्तुत करते समय केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि प्रतिवादियों द्वारा उचित जाँच-पड़ताल नहीं की जाती है, तो बैंक इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

बैंक अनुबंध के साथ आगे ना बढ़ने या अनुबंध के विन्यास और इस दस्तावेज़ में परिलक्षित अनुसूची को बदलने या लागू होने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने के लिए बैंक अधिकार सुरक्षित रखता है । बैंक किसी भी इच्छुक पक्ष के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। आवेदन प्रस्तुत करन वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

निविदा दस्तावेज – सामग्री

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
I	निविदा आमंत्रित करने की सूचना	4
II	निविदा की अनुसूची	5
III	बोलीदाताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	8
IV	खंड I: ई-टेंडरिंग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश	11
V	खंड II: पात्रता मानदंड	18
VI	खंड III: मूल्यांकन मानदंड	20
VII	खंड IV: समवर्ती लेखा परीक्षकों के लिए काम का सांकेतिक दायरा और सारांश	26
VIII	खंड V: नियुक्ति संबंधी जानकारी की सांकेतिक सूची	38
IX	धारा VI: नियुक्ति के नियम और शर्तें	39
	अनुबंध-ए: निविदा स्वीकार करने की सहमति	46
	अनुबंध-बी: फॉर्म-1 - तकनीकी बोली हेतु (परिशिष्ट 1, 2 और 3 के साथ)	48
	अनुबंध-सी: फॉर्म-2 – वित्तीय बोली के लिए हेतु	55
	अनुबंध-डी: वचन पत्र	56
	अनुबंध-ई: बैंक से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट	57
	अनुबंध-एफ़: बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	58
	अनुबंध-जी: प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची	62

I. ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना
(केवल ई-खरीद के माध्यम से)

भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर में वर्ष 2025-26 के लिए 01 अक्तूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए ई-निविदा आमंत्रित करना

1. यह नोटिस केवल सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और इस सीमित निविदा में बोली लगाने के लिए खुला आमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण द्वारा ली जा सकती है और चयनित/पात्र फर्मों तक सीमित है। अवांछित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) में 01 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, वर्ष 2025-26 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों (सीए) के रूप में नियुक्ति के लिए राजस्थान राज्य के भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकृत श्रेणी-I चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों से दो-कवर बोली के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। हालाँकि, सीए के प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा में संतोषजनक मूल्यांकन के अधीन, समान नियमों और शर्तों पर क्रमशः दूसरे वर्ष (01 अक्तूबर, 2026 से 30 सितंबर, 2027) और तीसरे वर्ष (01 अक्तूबर, 2027 से 30 सितंबर, 2028) के लिए नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है।

3. आवेदकों को ई-निविदा के संबंध में निर्देशों के अनुसार, निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण सभी सहायक दस्तावेजों के साथ 11 अगस्त 2025 को सुबह 11:00 बजे या उससे पहले अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। भाग- I (तकनीकी बोली) 11 अगस्त 2025 को शाम 04:00 बजे इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। यदि ऊपर बताई गई किसी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो यहाँ उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्य दिवस मान्य होगा।

4. निविदा दस्तावेज हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर 'निविदा' लिंक के साथ-साथ www.mstcecommerce.com यानी एमएसटीसी पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकते हैं। इस निविदा से संबंधित कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर ही अपलोड किए जाएँगे। आवेदकों को उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जाँच करनी चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
जयपुर

II. निविदा की अनुसूची (एसओटी) (केवल ई-खरीद के माध्यम से)

नोट: यह एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से एक सीमित निविदा है। राजस्थान राज्य के लिए आईसीएआई से पंजीकृत श्रेणी-1 समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म, जिनका पंजीकृत/मुख्यालय जयपुर में है, ई-निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पात्रता की जाँच के लिए पहले बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर "निविदाएँ" लिंक पर जाएँ। आवेदन करने की इच्छुक पात्र फर्मों को एमएसटीसी पोर्टल (www.mstcecommerce.com) पर अपना पंजीकरण कराना होगा और केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।

क.	ई-निविदा सं.	आरबीआई/जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय/मासंप्रवि/3/25-26/ईटी/324
ख.	निविदा का नाम और तरीका	ई-खरीद सिस्टम (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी बोली और भाग II वित्तीय बोली के माध्यम से www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi)
ग.	ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तिथि आरबीआई की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है	22 जुलाई 2025, अपराह्न 4:00 बजे
घ.	एमएसटीसी पोर्टल पर ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) की ऑनलाइन प्रस्तुति आरंभ होने की तिथि	22 जुलाई 2025, अपराह्न 4:00 बजे
ङ.	ई-मेल के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगने की अंतिम तिथि। (निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी मद के संबंध में)	31 जुलाई 2025, प्रातः 11:00 बजे
च.	बोली पूर्व बैठक	ऑफलाइन मोड: 31 जुलाई 2025 को प्रातः 11.00 बजे सम्मेलन कक्ष, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, रामबाग सर्कल, टोंक रोड, जयपुर, 302004
छ.	निविदा का अनुमानित मूल्य अर्थात न्यूनतम पारिश्रमिक शुल्क (प्रति माह)	₹94,000/- प्रति माह (सभी लागतों सहित और जीएसटी के अलावा) यानी, 12 महीनों के लिए ₹11,28,000/- (सभी लागतों सहित और जीएसटी के अलावा)
ज.	बयाना धन जमा (EMD)	अनुमानित लागत का 2% यानी **₹22,560/-** (बाईस हजार पांच सौ साठ रुपये) एनईएफटी के माध्यम से विप्रेषण किया जाए। **लाभार्थी का विवरण:** १. लाभार्थी चालू खाता संख्या: 8692299

		२. IFSC कोड: RBIS0JPPA01 (कृपया पांचवें और दसवें अक्षर को शून्य के रूप में पढ़ें) ३. लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर ४. टिप्पणी: 2025-26 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति ईएमडी जमा करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाए तथा स्कैन की गई प्रति ई-निविदा बंद होने के समय से पहले *abccjaipur@rbi.org.in* पर भेजी जाए।
झ.	निष्पादन बैंक गारंटी (PBG)	अनुमानित लागत के 5% के बराबर राशि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी अर्थात **₹56,400/-** (रुपये छप्पन हजार चार सौ केवल) संविदा अवधि के लिए फर्म (सफल बोलीदाता) से प्राप्त किया जाएगा।
ञ.	लेनदेन शुल्क (महत्वपूर्ण नोट: कृपया ध्यान दें कि लेनदेन शुल्क प्राप्त होने के बाद ही फर्मों को ई-निविदा तक पहुंच प्राप्त होगी)	एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान, एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से।
ट.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	10 अगस्त 2025 अपराह्न 05:00 pm
ठ.	ई-निविदा के ऑनलाइन जमा करने की तिथि और समय (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली)	11 अगस्त 2025 अपराह्न 11: 00 बजे
ड.	भाग-। खोलने की तिथि और समय (तकनीकी बोली)	11 अगस्त 2025 अपराह्न 04:00 बजे
ढ.	भाग-।। खोलने की तिथि (वित्तीय बोली)	भाग-।। (वित्तीय बोली) केवल उन बोलीदाता(बोलीदाताओं) के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनके भाग-। (तकनीकी बोली) को बैंक द्वारा स्वीकार्य पाया जाएगा। ऐसे बोलीदाता (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा दी गई वैध ई-मेल आईडी के माध्यम से भाग-।। (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।

नोट: 1. यह नोटिस केवल सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है और इस सीमित निविदा में बोली लगाने के लिए खुला आमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण द्वारा की जा सकती है और चयनित क्रयकर्ता संस्थाओं के सूचीबद्ध ठेकेदारों तक सीमित है। अवांछित प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

2. उपर्युक्त किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, यहाँ उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्य दिवस प्रभावी होगा।

3. भविष्य में निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल ऊपर दिए गए अनुसार RBI वेबसाइट और MSTC वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

III. बोलीदाताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने से पहले कार्य की सीमा, नियुक्ति संबंधी सूचना की सांकेतिक सूची, मूल्यांकन मानदंड, पात्रता मानदंड और निविदा में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों का उल्लेख करना चाहिए।

2. निविदा प्रस्तुत करने से पहले, बोलीदाताओं को उसमें निर्धारित पात्रता और अन्य मानदंडों के बारे में स्वयं संतुष्ट होना होगा। यह भी ध्यान रखें कि यहाँ निर्दिष्ट नियम और शर्तें सांकेतिक प्रकृति की हैं और ये बैंक को सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध करते समय बोलीदाता पर ऐसे अतिरिक्त या अन्य नियम और शर्तें थोपने या उन पर सहमत होने के लिए बाध्य करने, या यहाँ निहित नियमों और शर्तों में परिवर्तन, संशोधन या छूट देने से नहीं रोकेंगी, जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जाने वाले कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाए।

3. बोलीदाता/ बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे। कोटेशन में सुधार, यदि कोई हो तो, विधिवत अधिकृत व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित किया जाएगा।

4. प्रक्रिया के पहले चरण में, तकनीकी बोलियां (भाग- I) **11 अगस्त 2025 को अपराह्न 4:00 बजे भारिबैं, जयपुर में खोली जाएंगी। किसी भी बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली जिसने पात्रता मानदंड और नियमों और शर्तों में निर्धारित शर्तों में से एक या अधिक का अनुपालन नहीं किया है, सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।** इसके बाद, चयनित तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन मानदंडों में दी गई पद्धति के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।

5. **बोलीदाता द्वारा कोट किए गए मासिक पारिश्रमिक में जीएसटी शामिल नहीं माना जाएगा।** यदि आवेदक बोली में जीएसटी को शामिल नहीं करता है, तो बैंक द्वारा बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। पारिश्रमिक का भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-जे के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती के बाद किया जाएगा। इसके लिए फर्म को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

6. केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (भाग-II) खोली जाएगी जिन्हें प्रथम चरण में छांटा गया है। चुने गए बोलीदाताओं को वित्तीय बोलियां खोलने की तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा।

7. निविदा, निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों तक या निविदा को अंतिम रूप देने की तारीख तक, जो भी पहले हो, स्वीकृति के लिए खुली रहेगी।

8. (क) बयाना धन जमा: 12 महीने की अवधि के लिए कुल अनुबंध मूल्य का ईएमडी @ 2% निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली सभी फर्मों से एकत्र किया जाएगा। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण नीचे दिया गया है:
    i. लाभार्थी चालू खाता संख्या: 8692299
    ii. IFSC कोड: RBIS0JPPA01 (कृपया पांचवें और दसवें अक्षर को शून्य के रूप में पढ़ें)

iii. लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर
iv. टिप्पणी: 2025-26 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति
v. ईएमडी राशि - ₹22,560/- (रुपये बाईस हजार पांच सौ साठ मात्र)

(ख) किसी भी परिस्थिति में, बयाना राशि जमा ऊपर उल्लिखित माध्यम के अलावा किसी अन्य रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ग) सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य सभी निविदाकर्ताओं की ईएमडी बोली वैधता (विस्तारित वैधता सहित) की समाप्ति पर अथवा सफल निविदाकर्ता को ठेका प्रदान किए जाने पर, इनमें से जो भी पहले हो बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

(घ) सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि सफल बोलीदाता से विनिर्दिष्ट राशि, जो निविदा में निर्धारित की गई हो, की निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त होन पर लौटा दी जाएगी, जहां निविदा में इस प्रकार निर्धारित की गई हो।

(ङ) निष्पादन बैंक गारंटी: संविदा अवधि के लिए फर्म (सफल बोलीदाता) से संविदा मूल्य के 5% के बराबर राशि की निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त की जाएगी। संविदा अवधि की समाप्ति के बाद बीजी तीस (30) दिनों की अवधि के लिए वैध होगी। बैंक गारंटी अनुबंध की अवधि की समाप्ति के दो महीने बाद ब्याज के बिना केवल अनुबंध के सफल समापन से संतुष्ट होने के बाद और सफल निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों से कोई देयता नहीं होने पर जारी की जाएगी। किसी भी शिकायत या लंबित देय राशि के मामले में, बैंक गारंटी सभी देयताओं, देनदारियों आदि को समायोजित करने के बाद ही जारी की जाएगी।

9. सफल बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी यदि बोलीदाता:

i. प्रस्तुत प्रपत्रों, कथनों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन करना, किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना,, अदालत में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही का विवरण जो अन्यथा पात्रता मानदंडों पर कोई प्रभाव पैदा कर सकता था।
ii. बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है, या
iii.किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है और ब्लैकलिस्ट अभी भी लागू है।
iv. यदि लेखा परीक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे दिए गए कार्य को शुरू करने में विफल रहता है।

10. तकनीकी और वित्तीय दोनों बोलियों में सीए द्वारा कोई विचलन/शर्तें निर्धारित नहीं की जाएंगी। <u>सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी</u>।

11. सूचना के मिथ्याकरण/दमन से बोलीदाता को अयोग्य घोषित किया जाएगा/अनुबंध की अवधि के दौरान काम दिए जाने के बाद भी अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।

12. बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा किसी लाभ का प्रचार करना या लाभ की पेशकश करना या कोई अन्य प्रलोभन देना उस मामले में लागू प्रासंगिक कानूनों के तहत अपराध होगा। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप अन्य दंडात्मक उपायों के अलावा, बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

13. बैंक न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14. यदि बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निहित किसी बात के अर्थ के बारे में कोई संदेह है, तो वह _लेखापरीक्षा बजट और समन्वय कक्ष (एबीसीसी), मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (एचआरएमडी), आरबीआई, जयपुर (abccjaipur@rbi.org.in) से दिनांक 31 जुलाई 2025 तक, पूर्वाह्न 11:00 बजे या उससे पहले <u>लिखित रूप</u> में स्पष्टीकरण मांगेगा। ऐसा कोई स्पष्टीकरण, सभी ब्यौरे, जिन पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, के साथ स्पष्टीकरण मांगने वाले बोलीदाता की पहचान का खुलासा किए बिना सभी बोलीदाताओं को भी अग्रेषित किया जाएगा। बोलीदाता और बैंक के बीच सभी संचार लिखित रूप में किए जाएंगे। बैंक द्वारा ऐसे किसी भी लिखित स्पष्टीकरण को छोड़कर, जिसे स्पष्ट रूप से आरबीआई, जयपुर द्वारा जारी निविदा दस्तावेज का परिशिष्ट कहा गया है, बैंक के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा कोई लिखित या मौखिक संचार, प्रस्तुति, या स्पष्टीकरण अनुबंध के तहत बैंक को बाध्य या बाधित करने के लिए नहीं लिया जाएगा।

15. निविदा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा/स्पष्टीकरण के लिए **दिनांक 31 जुलाई 2025 को सुबह 11.00 बजे सम्मेलन कक्ष, द्वितीय तल, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर** में एक निविदा-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित बैठक में भाग लेने से पहले निविदा दस्तावेजों का अध्ययन कर लें।

IV. ई-टेंडरिंग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर की ई-खरीद प्रक्रिया है। एमएसटीसी लिमिटेड ई-खरीद सेवा प्रदाता है। फर्मों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले ई-निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस और बाद में संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, को पढ़ और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ फर्म का पंजीकरण शामिल है जो नि:शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, फर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। फर्म के पास तृतीय श्रेणी का साइनिंग टाइप डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। फर्मों को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी है। एमएसटीसी/आरबीआई, जयपुर ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

नोट: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली केवल ऑनलाइन जमा की जानी https://www.mstcecommerce.com/eprocn/

क. विक्रेताओं को पीएसयू / सरकारी विभागों → www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है → आरबीआई लोगो का चयन करें → विवरण भरकर और स्वयं का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर 'विक्रेता' के रूप में पंजीकरण करें → जमा करें।

ख. फर्मों को एक सिस्टम जनरेटेड ई-मेल प्राप्त होगा जो उनके ई-मेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करता है जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई जयपुर से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) ।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

क. एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए) फ़ोन नंबर :07969066600, ईमेल - helpdeskho@mstcindia.in	फोन नंबर: 0471-2326686, ई-मेल: mstctvc@mstcindia.in

(कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें) **7044067736**	

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, जयपुर):

श्री गोविंद सिंह (प्रबंधक) दूरभाष: 0141-2577946 मो नंबर: 9982220761 लेखापरीक्षा बजट और समन्वय कक्ष मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर ईमेल आईडी: abccjaipur@rbi.org.in	**श्री अंकुश कड़ू (सहायक प्रबंधक)** दूरभाष: 0141-2577946 मो नंबर: 7774001888 लेखापरीक्षा बजट और समन्वय कक्ष मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर ईमेल आईडी: abccjaipur@rbi.org.in

ख) सिस्टम आवश्यकताएँ:

(i) विंडोज 7 और इसके बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम

(ii) आईई-9और इसके बाद के संस्करण का इंटरनेट ब्राउजर

(iii) साइनिंग टाइप डिजिटल सिग्नेचर

(iv) अद्यतन जेआरई 8 (X86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने और सिस्टम में स्थापित करने के लिए।

DSC के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए "संरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए, निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं:

• Tools => Internet Options =>Security => Disable protected Mode If enabled- i.e., Remove the tick from the tick box mentioning “Enable Protected Mode”.

अन्य सेटिंग्स:

- Tools => Internet Options => General => Click on Settings under “Browsing History/ Delete Browsing History” => Temporary Internet Files => Activate “Every time I Visit the Webpage”.
- सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और उपकरण → इंटरनेट विकल्प→ कस्टम स्तर के अंतर्गत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया पृष्ठ से IE सेटिंग्स www.mstcecommerce.com एक बार **चलाएं**) ।

- अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता विक्रेता गाइड और FAQ का उल्लेख कर सकता है जो यहां उपलब्ध www.mstcecommerce.com/eprocn

ग) <u>ई-निविदा की प्रक्रिया</u>:

1. मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन जमा की जानी है। निविदाएं निविदा में दिए गए निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

2. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय / मूल्य प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

3. **लेनदेन शुल्क के लिए विशेष नोट:**

विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा और एनईएफटी के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में भुगतान करना होगा। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा और उसके बाद चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि को बिना किसी बदलाव के भेज देगा।

बोलीदाता कृपया नोट करें कि लेनदेन शुल्क केवल बोलीदाता के खाते से डेबिट करके जमा किया जाना चाहिए। किसी अन्य पार्टी के खाते से या डेबिट करके जमा लेनदेन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। **लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।**

विक्रेता को लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

<u>नोट</u>: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली के समापन समय से पहले अग्रिम रूप से लेनदेन शुल्क को अच्छी तरह से प्रेषित करें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दिया जा सके।

4. निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान ही निविदाओं/अपलोड किए गए शुद्धिपत्रों के बारे में सूचना ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए, फर्मों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी के साथ फर्म के पंजीकरण के समय प्रदान किया गया उनका कॉर्पोरेट ई-मेल पता वैध और अद्यतन है। फर्मों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

5. कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाली पार्टियों की सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले एक बार फिर वेबसाइट देखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद उन्होंने उक्त निविदा के लिए अपलोड किए गए शुद्धिपत्र को देख लिया है। संबंधित शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी केवल बोलीदाताओं की होगी। इस एनआईटी (यदि कोई हो) को शुद्धिपत्र के संबंध में अलग से कोई सूचना निविदादाता (निविदाकर्ताओं) को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज डाउनलोड किए हैं।

6. **ई-निविदा में बोली:**

क. बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा के लिए अलग से आवश्यक ईएमडी लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, वापस नहीं किया जाएगा।

ख. इस प्रक्रिया में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली (भाग-I और भाग-II) प्रस्तुत करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक बोली लगाना शामिल है।

ग. जिन विक्रेता (ओं) ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत कर सकते हैं www.mstcecommerce.com e- procurement → PSU/ Govt. Depts.→ Login under RBI → My menu → Auction Floor Manager → Live Event → Selection of the live event → Technical Financial Bid.

घ. विक्रेता को जोखिम को स्वीकार करके और रन पर क्लिक करके enApple नामक एप्लिकेशन की अनुमति देनी चाहिए । यह अभ्यास बोली पटल पर पहुंचने के तुरंत बाद दो बार किया जाना है। यदि यह आवेदन नहीं चलाया जाता है, तो बोली लगाने वाला अपनी बोली को सेव/प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होगा। (विवरण के लिए विक्रेता गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें) ।

ङ. विक्रेता (विक्रेताओं) को सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरने होते हैं और उन्हें सहेजना होता है। इसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सेव/प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होगा।

च. तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे

भरना पड़ता है और फिर विक्रेता को अपनी वित्तीय बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सेव हो जाने के बाद, विक्रेता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

छ. अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद दो और विकल्प दिखाई देंगे, अर्थात, "बोली वापस लें" और "बोली हटाएं"। यदि विक्रेता अपनी बोली को स्थायी रूप से वापस लेना चाहता है तो उन्हें 'निकासी बोली' लिंक पर क्लिक करना चाहिए। फिर वह फिर से बोली नहीं लगा पाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे 'डिलीट बिड' लिंक पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से 'फाइनल सबमिशन' पर क्लिक करना चाहिए।

ज. विक्रेता (विक्रेताओं) को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 'मेरा मेनू' के अंतर्गत 'दस्तावेज़ अपलोड करें' लिंक का उपयोग करना चाहिए। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार जिसे 5 एमबी में अपलोड किया जा सकता है। एक बार पुस्तकालय में दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता निविदा के खिलाफ 'अटैच डॉक्यूमेंट' लिंक के माध्यम से दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई, जयपुर द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं।

झ. सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

ञ. पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले एक-दूसरे तथा अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

ट. ई-निविदा पटल पूर्व-घोषित तिथि और समय से तथा ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

ठ. ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोली लगाने वाले पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली के रूप में माना जाएगा और बैंक द्वारा इसकी स्वीकृति कार्य के निष्पादन के लिए बैंक और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी करार बनाया जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद सेवा प्रदाता कहा जाएगा।

ड. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां तृतीय श्रेणी के हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ढ. निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी, अर्थात, बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा भी मामला हो।

ण. किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा पटल में बोली प्रस्तुत करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।

त. माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा पटल में इंगित की गई है। कोट की जाने वाली दर ई-निविदा पटल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

थ. विक्रेताओं को पोर्टल में निर्दिष्ट प्रत्येक आइटम के लिए जीएसटी के बिना केवल मासिक आधार दर का उल्लेख करना होगा। कोट की गई दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

8. बोलीदाता (ओं) द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई सूचना झूठी पाई जाती है तो चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई (व्यवसाय के निलंबन और प्रतिबंध सहित) भी की जा सकती है।

9. फर्मों से अनुरोध है कि वे सेवा प्रदाता/कंपनी/फर्म गाइड पढ़ें और बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए पेज www.mstcecommerce.com/eprocn में वीडियो देखें।

10. बोलीदाताओं को पोर्टल में भविष्य के परिवर्तनों से खुद को परिचित करना भी आवश्यक है।

V. पात्रता मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर वर्ष 2025-26 के लिए 01 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर में समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित करता है।

1. आवेदक फर्म कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी या एलएलपी अधिनियम या साझेदारी फर्म या मालिकाना फर्म के तहत पंजीकृत एलएलपी होना चाहिए। ज्ञापन और एसोसिएशन के अनुच्छेद / निगमन प्रमाण पत्र / साझेदारी विलेख / इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2. आवेदक फर्म को माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत होना चाहिए और पैन, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

3. आवेदक फर्म राजस्थान राज्य के आईसीएआई के साथ पंजीकृत श्रेणी-। समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म होनी चाहिए जिसका पंजीकृत/मुख्यालय जयपुर में हो।

4. आवेदक फर्म के पास समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए जनशक्ति के संबंध में प्रतिस्थापन आदि की देखभाल करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति होनी चाहिए।

5. जीएसटी को छोड़कर न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ₹94,000/- (चौरानवे हजार रुपये मात्र) होगा।

6. न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक से कम दर्शाने वाले आवेदनों को सीधे खारिज कर दिया जाएगा।

7. फर्म या किसी भी भागीदार को आईसीएआई द्वारा की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन नहीं होना चाहिए।

8. फर्म या फर्म के भागीदारों को भारत या विदेश में आरबीआई सहित किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन / संस्था द्वारा प्रतिबंधित या ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला हुआ होना चाहिए।

9. पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर बैंक को संतुष्ट करने में इच्छुक आवेदकों की विफलता की स्थिति में, या उनके आवेदन में नियम और शर्तों से विचलन है, वे बैंक द्वारा अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

10. फर्म को जीएसटी के अनुरूप होना चाहिए और अन्य केंद्रीय और राज्य कानूनों का पालन करने के साथ-साथ समय पर और लगातार सभी रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

11. बैंक अपेक्षा करता है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने के इच्छुक आवेदक संविदा/नियुक्ति की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, निषिद्ध प्रथाओं के रूप में नीचे निर्धारित शर्तों को परिभाषित करता है:

i. "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है किसी अन्य पार्टी के कार्यों को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्य की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना।

ii. "धोखाधड़ी व्यवहार" का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए गुमराह करती है या गुमराह करने का प्रयास करती है।

iii. "बलपूर्वक व्यवहार" का अर्थ है किसी पक्ष या पक्ष की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, जिससे किसी पक्ष के कार्यों पर अनुचित प्रभाव पड़े; और

iv. "मिलीभगत वाला व्यवहार" का अर्थ है दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक व्यवस्था जो एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है, जिसमें किसी अन्य पार्टी के कार्यों को अनुचित तरीके से प्रभावित करना भी शामिल है।

12. बैंक, निविदा प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा, यदि यह निर्धारित करता है कि कार्य प्राप्त करने के लिए अनुशंसित आवेदक ने संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में लिप्त है, और आवेदक को अनिश्चित काल तक या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

13. **<u>नोट</u>:** कृपया ध्यान दें कि वे फर्में जो वर्तमान में RBI की वैधानिक/वैधानिक शाखा ऑडिटर/समवर्ती ऑडिटर हैं और वे फर्म जिन्होंने अतीत में RBI में इस तरह के ऑडिट किए हैं, लेकिन 11 अगस्त 2025 तक इस तरह के असाइनमेंट के पूरा होने के बाद से कम से कम दो साल बीत चुके हैं, इस प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं हैं। संलग्न **अनुबंध-D** में इस आशय का एक वचन फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

VI. मूल्यांकन मानदंड

नियुक्ति पद्धति में दो चरणों की प्रक्रिया शामिल है, जिसमें तकनीकी और वित्तीय बोली शामिल है, जिसमें दो चरणों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन और तकनीकी मूल्यांकन में एक अर्हक मानदंड शामिल हैं।

2. पहला चरण तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन होगा। तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में आवेदक फर्मों को अंक प्रदान करने की योजना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पैरामीटर	स्कोरिंग स्केल	टिप्पणियां	अधिकतम स्कोर
1	सीए फर्म का अनुभव	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए आधा अंक (0.5) ।	आईसीएआई डेटा के अनुसार स्थापना वर्ष	**15**
2	पूर्णकालिक फेलो चार्टर्ड लेखाकार (एफसीए) भागीदार	प्रत्येक पूर्णकालिक एफसीए के लिए डेढ़ (1.5) अंक।	पैनल के वर्ष से ठीक पहले के केलेण्डर वर्ष के दौरान फर्म के साथ जुड़े एफसीए की संख्या ।	**12**
3	फर्म के साथ पूर्णकालिक सीए भागीदारों की एसोसिएशन - भागीदारों की संख्या	• पांच साल से अधिक और सात साल तक फर्म से जुड़े प्रत्येक पूर्णकालिक सीए पार्टनर के लिए एक अंक (1.0) । • सात साल से अधिक और दस साल तक फर्म से जुड़े प्रत्येक पूर्णकालिक सीए पार्टनर के लिए डेढ़ अंक (1.5) । • दस से अधिक वर्षों के लिए फर्म से जुड़े प्रत्येक पूर्णकालिक सीए पार्टनर के लिए दो अंक (2.0) ।	सीए पार्टनर की जॉइनिंग तिथि से पूरे वर्ष (11 अगस्त, 2025 तक) ।	**10**
4	प्रमुख पेशेवर कर्मचारी - पूर्णकालिक सीए कर्मचारी	पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों के लिए प्रत्येक एक अंक (1.0) ।		**8**

5	केवल लेखापरीक्षा सेवाओं से फर्म के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक कारोबार का औसत (अन्य गतिविधियों से अलग उदाहरणस्वरूप। कंसल्टेंसी)	मेट्रो शहरों (मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरू और हैदराबाद) में 100 लाख रुपए के औसत कारोबार और इसके गुणकों के लिए एक-एक अंक (10) • पूरे किए गए 60 लाख रुपये के लिए प्रत्येक के लिए एक अंक (1.0) और अन्य स्थानों पर इसके गुणक।	उदाहरण के लिए, यदि कोई फर्म दिल्ली में स्थित है जिसका औसत कारोबार ₹ 450 लाख है, तो उसे चार अंक दिए जाएंगे। गैर-मेट्रो केंद्रों में समान टर्नओवर वाली फर्म को सात अंक मिलेंगे।	**10**
6	कुशल कर्मचारियों की संख्या - में योग्य सीए का समूह 2 मध्यवर्ती	पूर्णकालिक योग्य कुशल कर्मचारियों के लिए प्रत्येक एक चौथाई अंक (0.25)	उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म में 30 पूर्णकालिक योग्य कुशल कर्मचारी हैं, तो 7.5 अंक प्रदान किए जाएंगे।	**12**
7	समवर्ती लेखा परीक्षकों / सांविधिक केंद्रीय / शाखा के रूप में बैंक लेखा परीक्षा में सीए फर्म का अनुभव लेखा-परीक्षक	समवर्ती लेखा परीक्षकों और/या सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों और/या शाखा लेखापरीक्षकों के रूप में बैंक लेखापरीक्षा में सीए फर्म के प्रत्येक एक वर्ष के पूर्ण अनुभव के लिए आधा अंक (0.5)।	उदाहरण के लिए, यदि सीए फर्म को बैंक ऑडिट में 17 साल का अनुभव है समवर्ती के रूप में लेखा परीक्षक/सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखा परीक्षक, 8.5 अंक प्रदान किए जाएंगे।	**20**
8	बैंक सांविधिक लेखापरीक्षा अनुभव के आठ या अधिक वर्षों वाले पूर्णकालिक भागीदारों की संख्या	आठ या अधिक वर्षों का बैंक सांविधिक लेखापरीक्षा अनुभव रखने वाले पूर्णकालिक भागीदार प्रत्येक के लिए एक अंक (1.0) ।	उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म के पास बैंक सांविधिक लेखा परीक्षा के 10 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले पांच पूर्णकालिक भागीदार हैं, तो चार अंक प्रदान किए जाएंगे।	**4**

9	आरबीआई ऑडिट में पिछला अनुभव समकालिक लेखा परीक्षक/सांविधिक केंद्रीय/ शाखा लेखा परीक्षकों	• आरबीआई में लेखापरीक्षा का कोई पूर्व अनुभव नहीं - [शून्य अंक] • आरबीआई में लेखापरीक्षा का पूर्व अनुभव - [3.0 अंक]	यदि नई फर्म का भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कोई पूर्व लेखापरीक्षा संबंध नहीं है, तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा।	**3**
10	अतिरिक्त योग्यता/ पूर्णकालिक सीए पार्टनर्स का निरंतर कौशल उन्नयन	• इनमें से किसी भी अतिरिक्त योग्यता के लिए आधा अंक (0.5) प्रत्येक i. आईसीएआई से सूचना प्रणाली में डिप्लोमा (डीआईएसए) ii. ISACA, USA से प्रमाणित सूचना प्रमाणित लेखा परीक्षक (CISA) iii. AICPA, USA से प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार (CPA) iv. आईआईए, यूएसए से प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक (सीआईए) v. ACFE, USA से प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक (CFE)। . आईसीएआई से किसी भी प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए एक चौथाई अंक (0.25) अर्थात् i. IND AS ii. फोरेंसिक लेखा और धोखाधड़ी की रोकथाम iii. सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखा iv. बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा v. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ vi. विदेशी मुद्रा और ट्रेजरी प्रबंधन vii. माल और सेवा कर।	एक पूर्णकालिक सीए पार्टनर्स को केवल एक योग्यता / प्रमाण पत्र के लिए अंक से सम्मानित किया जाएगा।	**6**

	पेशेवर ट्रैक रिकॉर्ड			
11	सीए फर्म या उसके किसी भी सीए पार्टनर को पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा फटकार लगाई गई हो	यदि पिछले तीन वर्षों में, सीए फर्म या उसके किसी भागीदार को एनएफआरए द्वारा एक एडवाइजरी/चेतावनी/जुर्माना (मौद्रिक) जारी किया गया है – **[नकारात्मक 10 अंक] ।**		**0**
12	सीए फर्म या उसके किसी भी सीए पार्टनर को पिछले तीन वर्षों में गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा फटकार लगाई गई हो	फर्म के स्कोर में **10 अंकों की कमी की जाएगी**, यदि पिछले तीन वर्षों में, सीए फर्म या उसके किसी भागीदार को गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है।		**0**
13	पिछले पांच वर्षों में आईसीएआई के अनुसार एक सदस्य द्वारा पेशेवर कदाचार	यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के तहत सीए फर्म या उसके किसी सीए भागीदार और/या फर्म के किसी सीए कर्मचारी को पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो फर्म के अंकों **में से 10 अंकों की कमी** की जाएगी।		**0**
14	पिछले तीन वर्षों में आरबीआई द्वारा आवंटित लेखा परीक्षा से इनकार	फर्म के अंकों में से **10 अंकों की कमी की जाएगी**, यदि पिछले तीन वर्षों में, सीए फर्म ने निर्धारित समवर्ती लेखा परीक्षा लेने से इनकार कर दिया था या निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के पूरा होने से पहले आरबीआई		**0**

		द्वारा इसे सौंपा गया समवर्ती लेखा परीक्षा छोड़ दिया था।		
		कुल		**100**

वे **फर्म जो वर्तमान में आरबीआई के सांविधिक / सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक / समवर्ती लेखा परीक्षक / जीएसटी लेखा परीक्षक हैं और वे फर्म जिन्होंने अतीत में आरबीआई में इस तरह के लेखापरीक्षण किए हैं, लेकिन 11 अगस्त 2025 तक इस तरह के असाइनमेंट के पूरा होने के बाद से कम से कम दो साल पूरे नहीं हुए हैं, वे पात्र नहीं हैं।*

3. तकनीकी बोली में 60 या अधिक अंक (100 में से) प्राप्त करने वाली फर्में ही वित्तीय मूल्यांकन के अगले चरण के लिए पात्र होंगी।

4. दूसरे चरण में तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करने वाली फर्मों की वित्तीय बोलियों को खोला जाएगा। यह निर्णय लिया गया है कि एल-1 से एल-5 बोलीदाताओं के लिए विशिष्ट बिंदुओं के स्थान पर एल-1 को आधार मानते हुए अंकों को सामान्य करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का उपयोग किया जाएगा।

$$\text{वित्तीय मूल्यांकन के तहत स्कोर}_x = \frac{\text{न्यूनतम वित्तीय बोली राशि } L_1}{\text{वित्तीय बोली राशि }_x}$$

वित्तीय मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली

क्र.सं.	**विशेष**	**नुस्ख़ा***
1	न्यूनतम बोली (L1)	एल 1 / एल 1
2	एल-2	एल1/एल2
3	एल-3	एल 1 / एल 3
4	एल-4	एल 1 / एल 4
5	एल-5	एल 1 / एल 5
	एल-एन	एल 1 / एलएन

* दो दशमलव अंक तक का मान

5. अंतिम मूल्यांकन तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को क्रमशः 70:30 के अनुपात में जोड़कर किया जाएगा, जिसमें बोलीदाता उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने के साथ नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

6. अंतिम मूल्यांकन के बाद टाई की स्थिति में, तकनीकी मूल्यांकन के चार मापदंडों के आधार पर फर्म का मूल्यांकन करके टाई का समाधान किया जाएगा अर्थात (1) बैंक ऑडिट में सीए फर्मों का अनुभव (2) फर्म का अनुभव (3) पूर्णकालिक एफसीए पार्टनर्स और (4) औसत कारोबार, इन मापदंडों पर क्रमिक रूप से विचार किया जा रहा है।

7. आवेदकों की जांच, मूल्यांकन, आवेदनों की तुलना और योग्यता में सहायता करने के लिए, बैंक अपने विवेक से, किसी भी आवेदक से अपने आवेदन का स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिससे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय मिल सके। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक के अनुरोध के जवाब में नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में होगी। आवेदन की कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेशकश नहीं की जाएगी, या अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि आवेदन के मूल्यांकन में बैंक द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि की जाए।

8. यदि कोई आवेदक बैंक के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपने आवेदन का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9. बैंक न्यूनतम बोली या किसी भी आवेदन के साथ आवेदन स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

10. बैंक उन संगठनों से ग्राहक रिपोर्ट मांग सकता है जिनमें आवेदक ने समान सेवाएं प्रदान की हैं। यदि ग्राहक की कोई भी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो आवेदन को एकमुश्त खारिज कर दिया जाएगा, और इसकी वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी। इसके अलावा, सशर्त बोलियों को भी एकमुश्त खारिज कर दिया जाएगा।

VII. समवर्ती लेखा परीक्षकों के लिए कार्य का सांकेतिक दायरा

1. कृपया ध्यान दें कि सूचीबद्ध कार्यक्षेत्र केवल सांकेतिक है और बैंक की आवश्यकता के अनुसार भविष्य की तारीख में सीए के कार्यों को बढ़ाने/विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके लिए उद्धृत और सहमत मासिक पारिश्रमिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीए को इस ढांचे के भीतर लेनदेन का ऑडिट करना चाहिए। सत्यापित किए जाने वाले लेनदेन में किसी भी खाते पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।

2. सीए जयपुर आरओ के निम्नलिखित विभागों / अनुभागों / कक्षों को कवर करेगा:

क. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

ख. वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

ग. पर्यवेक्षण विभाग

घ. संपदा विभाग

ङ. विदेशी मुद्रा विभाग

च. मानव संसाधन प्रबंधन विभाग

छ. निर्गम विभाग (नकदी विभाग, सीवीपीएस और एसबीएस सहित)

ज. एकीकृत बैंकिंग लोकपाल

झ. केंद्रीय स्थापना अनुभाग

ञ. एकीकृत बैंकिंग विभाग (राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष और सार्वजनिक ऋण कार्यालय सहित)

ट. राजभाषा कक्ष

ठ. आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग

ड. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग

ढ. प्रोटोकॉल और सुरक्षा कक्ष

ण. उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्ष

त. आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य विभाग/अनुभाग/कक्ष

3. ऑडिट के अलावा, निम्नलिखित में भी भाग लिया जाना है:

क. बैंक गारंटी और बैंक गारंटी रजिस्टरों का सत्यापन

ख. टीडीएस से संबंधित मामले, तिमाही रिटर्न जैसे 26Q आदि मामले

ग. माल और सेवा कर, आईटीसी और सेवा कर से संबंधित मामले, जिनमें मासिक/तिमाही/वार्षिक रिटर्न जमा करना शामिल है

घ. जीएसटी-ईसीएल और सस्पेंस खाते का मिलान

ङ. पिछले महीनों के इनपुट कंट्रोल का चालू महीने के जीएसटीआर-2बी विवरण के साथ मिलान

च. कोई अन्य वैधानिक कर/रिटर्न से संबंधित मामले

उपर्युक्त में से किसी के बावजूद, समवर्ती लेखापरीक्षकों को क्षेत्रीय कार्यालय में जोड़े जाने वाले किसी भी नए मॉड्यूल के लिए लेखा परीक्षा करनी पड़ सकती है।

4. समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा मासिक आधार पर जांचे जाने वाले वाउचरों की औसतन संख्या लगभग 500 होगी। तथापि, यह संख्या केवल सांकेतिक है और कार्यालय/विभाग की आवश्यकता के आधार पर वाउचरों की संख्या में वृद्धि/कमी हो सकती है।

5. समवर्ती लेखा परीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय/विभाग की प्रणाली और प्रक्रियाओं से परिचित हों और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक द्वारा समय-समय पर जारी सभी संगत परिपत्रों/दिशानिर्देशों, संगत मैनुअलों, व्यय नियमों आदि में समाविष्ट प्रावधानों का अध्ययन करेंगे।

6. समवर्ती लेखा परीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा विकसित आवेदन पत्र अर्थात लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) से स्वयं को परिचित करें और बैंक की आवश्यकतानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा कार्रवाई पैरा (संशोधित पैरा सहित) बनाएं।

7. समवर्ती लेखा परीक्षक को निम्नलिखित पहलुओं के विशेष संदर्भ में वाउचर की जांच करनी चाहिए:

क. बैंक के व्यय नियमों का पालन: लेखांकन के उचित शीर्ष के तहत कथन और लेखांकन, राजस्व का सही लेखांकन और व्यय की पूंजीगत प्रकृति।

ख. निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी प्रासंगिक खातों (जैसे आरबीआई जनरल खाता, एसजीएल, सहायक रिकॉर्ड / रजिस्टर आदि) का रखरखाव।

ग. अंतर-कार्यालय ऑटो समाधान खाता, समायोजन खाता

घ. मासिक अंतराल पर प्रभारों के खाते का मिलान और निगरानी।

ङ. एजेंसी कमीशन के दावों की गणना।

च. बैंक द्वारा सूचित किए जाने पर कोई अन्य पहलू।

8. जांचसूची में उन वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्रों का विस्तृत विवरण दिया गया है जिन पर लेखा परीक्षा करते समय ध्यान देना आवश्यक है। जांचसूची के अनुसार समवर्ती लेखा परीक्षा अनिवार्य है। सीए के कामकाज का विस्तृत सारांश भी दिया गया है।

9. समवर्ती लेखा परीक्षक को संबंधित विभाग के परामर्श से सहमत तिथियों/दिनों पर वाउचरों/रिकॉर्डों/रजिस्टरों की लेखा परीक्षा करनी चाहिए।

10. समवर्ती लेखा परीक्षक को, यदि कोई कमी पाई गई हो तो, उसे तत्काल सुधार हेतु पहचानना आवश्यक है।

11. समवर्ती लेखा परीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह सत्यापित करे और रिपोर्ट दे कि किए गए वित्तीय लेनदेन बैंक की निर्धारित प्रणाली और प्रक्रिया/प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं।

12. समवर्ती लेखा परीक्षक को कार्यालय/विभाग की आवश्यकता के अनुसार आवधिक आय समीक्षा विवरण से संबंधित रिपोर्टों को सत्यापित करना होगा, साप्ताहिक मामलों का विवरण (डब्ल्यूएसए), सार डब्ल्यूएसए, आय विवरण, कैरी फॉरवर्ड प्रावधान रिपोर्ट, वैश्विक प्रावधान आदि को प्रमाणित करना होगा।

13. उपरोक्तानुसार समवर्ती लेखा परीक्षक के कार्यों को कार्यालय/विभाग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य में बढ़ाया जा सकता है।

14. समवर्ती लेखा परीक्षक बैंक के कर्मचारियों को सभी वैधानिक करों और उनके रिटर्न के निर्धारण में सहायता करेगा। फर्म बैंक के जीएसटी/आयकर रिटर्न (और बाद में लागू होने वाले अन्य संबंधित रिटर्न/रिटर्न) को निर्धारित अंतराल पर दाखिल करने की तैयारी सुनिश्चित करने में सहायता करेगी।

15. **रिपोर्टिंग आवश्यकताएं:**

i. मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और प्रमाण पत्र बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक महोदय को अगले महीने की 7 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जिस महीने से रिपोर्ट संबंधित है, उसके अंत से 10 कार्य दिवसों के भीतर एएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

ii. मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय और गैर-वित्तीय (मुख्य और अन्य) कार्रवाई अनुच्छेदों पर मदवार कार्रवाई बिंदुओं का उल्लेख होना चाहिए।

iii. मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित कार्रवाई बिंदुओं के संबंध में अनुपालन की स्थिति भी दर्शाई जानी चाहिए, जिन्हें माह के दौरान सुधारा गया था और लंबित अनुपालनों में देरी का कारण, यदि कोई हो, भी दर्शाया जाना चाहिए।

iv. मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संवेदनशील खातों, जैसे उचंत, विविध, आदि में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के संबंध में निष्क्रियता के कारणों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

v. संवेदनशील क्षेत्रों और/या संदिग्ध प्रकृति के लेन-देन में पाई गई अनियमितताओं को एक विशेष नोट दर्ज करके क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

vi. समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जहाँ कहीं आवश्यक हो, तथ्यों और आंकड़ों द्वारा विधिवत समर्थित विशिष्ट टिप्पणियाँ शामिल होनी चाहिए।

vii. आय में प्रमुख अनियमितताएँ/धोखाधड़ी/लीकेज, यदि कोई हो, पहचानी गई हों तो उन्हें क्षेत्रीय निदेशक के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

viii. समवर्ती लेखा परीक्षक को एक मासिक वैधानिक और नियामक अनुपालन प्रमाणपत्र (SRCC) भी प्रस्तुत करना चाहिए जो पुष्टि करता हो कि उन्होंने लेन-देन की 100% जाँच की है और आरबीआई, जयपुर द्वारा संबंधित क़ानूनों/नियमों/अधिनियमों में निर्धारित वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का 100% अनुपालन किया गया है।

बैंक का लेखा-परीक्षण करने के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक हेतु कार्य का सारांश / विस्तृत दायरा

अ. <u>सामान्य</u>:

1. नियुक्ति के समय उन क्षेत्रों (लेखापरीक्षा का दायरा और जाँच सूची) की एक सूची दी जाएगी जिन पर समवर्ती लेखापरीक्षा फर्म मासिक लेखापरीक्षा जाँच रिपोर्ट तैयार कर सकती है। समवर्ती लेखापरीक्षा फर्म, बैंक द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे गए अतिरिक्त लेखापरीक्षा क्षेत्र/क्षेत्रों को भी सूची में शामिल करेगी।

2. समवर्ती लेखा परीक्षक निम्नलिखित प्राप्त करेंगे और उनसे परिचित होंगे:

क) जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निरीक्षण विभाग की जांचसूची के लेखा परीक्षण क्षेत्रों की सभी मदें।

ख) सामान्य प्रशासन नियमावली, बैंकिंग विभाग नियमावली, निर्गम विभाग नियमावली और परिसर विभाग नियमावली या बैंक के संबंधित विभाग, जिसका लेखापरीक्षा किया जाना है, के पास उपलब्ध किसी अन्य प्रासंगिक नियमावली की अद्यतन प्रति।

ग) केंद्रीय कार्यालय के विभागों द्वारा जारी परिपत्रों की सभी प्रासंगिक प्रतियां। लेखापरीक्षा फर्म, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी संबंधित परिपत्रों के साथ संलग्न अनुलग्नकों में शामिल केंद्रीय कार्यालय परिपत्रों का संदर्भ लेने की भी व्यवस्था करेगी।

घ) बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली (ई-कुबेर) जिसके लिए लेखा परीक्षक को केवल पढ़ने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

ङ) बैंक की व्यय नियमावली

च) बैंक खातों की वार्षिक समाप्ति पर सभी सीओडी/आरओ/प्रशिक्षण संस्थानों को संबोधित डीजीबीए केंद्रीय कार्यालय परिपत्र।

आ. <u>वित्तीय</u>:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल के कार्यालय सहित सभी विभागों के वित्तीय लेनदेन, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, समवर्ती लेखापरीक्षा के दायरे में शामिल होंगे। जांच किए गए वाउचर निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करेंगे:

क) बैंक की व्यय नियमावली

ख) राजस्व/पूंजी (निष्क्रिय स्टॉक खाता) खाता व्यय का विवरण और लेखा शीर्ष

ग) संवर्गवार प्रत्यायोजित शक्तियों के संदर्भ में स्वीकृति प्राधिकारी

घ) संबंधित लेखा पैकेजों में लेनदेन की पोस्टिंग की शुद्धता

ई) सीटीसी द्वारा जारी कर संबंधी परिपत्र

च) प्रत्यायोजित होने पर ऐसा कोई अन्य कार्य

2. सभी वित्तीय लेनदेन (₹ 30,000/- तक की चिकित्सा और अन्य विभिन्न प्रतिपूर्ति से संबंधित स्टाफ से संबंधित नियमित बिलों को पूर्व-भुगतान लेखा परीक्षा से छूट दी जाएगी) निम्नलिखित सहित समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत कवर किए जाएंगे:

क) मौजूदा और साथ ही पूर्व कर्मचारियों के अस्पताल में भर्ती बिल (प्रत्यक्ष निपटान / प्रतिपूर्ति योजना)

ख) चिकित्सा सहायता निधि खाते के अंतर्गत निपटाए गए दावे

ग) सभी दंत चिकित्सा उपचार और अन्य चिकित्सा दावे

घ) सेवानिवृत्त/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन/परिवार पेंशन/अनुग्रह/परिवार अनुग्रह गणना, मृतक कर्मचारियों के संबंध में अनुकंपा उपदान और पैकेज गणना

ङ) जब कभी केन्द्रीय कार्यालय द्वारा वेतनमान/पेंशन संशोधन आदेश जारी किए जाएं, कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण और पूर्व कर्मचारियों के संबंध में पेंशन का पुनर्निर्धारण

च) कर्मचारियों की वार्षिक वृद्धि/पदोन्नति ग्रेड में वेतन का पुनर्निर्धारण

छ) सभी विदेशी टूर बिल

ज) किराए, करों, पानी के शुल्क आदि के सभी भुगतान

i) विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को किए गए सभी भुगतान

ञ) बैंक के स्टाफ सदस्यों से किए गए बिजली बिलों की वसूली

ट) ईएसआईसी, पीएफ, मूल मजदूरी आदि जैसे न्यूनतम मजदूरी घटकों के संशोधन पर किए जाने वाले बकाया भुगतान/वसूली

ठ) बैंक के सीओ के अनुदेशों के तहत 100% लेखापरीक्षा जांच के लिए सुझाए गए अन्य दावे/बिल, जो समय-समय पर जारी किए जाते हैं

3. समवर्ती लेखा परीक्षक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)/नकद आरक्षित राशन (सीआरआर) की शुद्धता को प्रमाणित करेगा और फार्म। विवरणियों के माध्यम से और कमी, यदि कोई हो, पर दंडात्मक ब्याज की गणना के माध्यम से रिपोर्ट करेगा।

4. समवर्ती लेखा परीक्षक प्रमाणित करेगा कि बैंक शाखाओं के लिए 'प्रोत्साहन और दंड की योजना' और 'मुद्रा वितरण और विनिमय योजना' के तहत दंड की छूट, यदि कोई हो, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन से की गई थी।

5. मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) प्रोत्साहनों की गणना, प्रोत्साहन और दंड की योजना और निर्गम विभाग में मुद्रा वितरण और विनिमय योजना (सीडीईएस) का सत्यापन।

6. जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर इंगित वित्तीय निहितार्थ वाले किसी अन्य लेखा परीक्षा क्षेत्र की लेखा परीक्षा समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा की जानी है।

7. नीचे उल्लिखित अनुदेशों के संबंध में एक प्रमाण पत्र मासिक आधार पर निरीक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाना है:

क. सभी वित्तीय स्वीकृतियां समवर्ती लेखा परीक्षा के अध्यधीन होंगी। प्रभारी अधिकारी (ओआईसी) के रैंक से नीचे के प्राधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों में अधिकता/अनियमितता की सूचना ओआईसी और निरीक्षण विभाग को भी दी जाएगी और ओआईसी द्वारा सभी अनियमित स्वीकृतियों की सूचना सीधे

समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण विभाग को दी जाएगी। यदि कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है, तो समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण विभाग को एक 'शून्य' विवरण भेजा जाएगा।

ख. क्षेत्रीय निदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली वित्तीय शक्तियों के संबंध में एक विवरण समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण विभाग को सूचित किया जाएगा।

ग. समवर्ती लेखा परीक्षक को यह इंगित करना चाहिए कि क्या बैंक के अधिकारियों और क्षेत्रीय निदेशक द्वारा वित्तीय स्वीकृति/वित्तीय शक्तियों का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक व्यय नियमावली के अनुसार किया जा रहा है।

8. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, लेखापरीक्षा फर्म को कार्यालय द्वारा लागू मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) और भविष्य में उसमें किए गए किसी भी परिवर्तन का पालन करना होगा। वित्तीय लेनदेन के संबंध में समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए एसओपी संदर्भ के लिए नीचे दोहराया गया है:

१. समवर्ती लेखा परीक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बिल/भुगतान नोट इनवर्ड किए हुए है, सीबीएस ई-कुबेर में संसाधित किए जा रहे हैं और उनके द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की जा रही है।

२. अतः समवर्ती लेखा परीक्षकों को बैंक के सीबीएस ई-कुबेर में निष्पादित सभी भुगतानों/प्रविष्टियों का उनके द्वारा लेखापरीक्षित प्रविष्टियों के साथ दैनिक आधार पर मिलान करना चाहिए।

३. इस संबंध में, निर्दिष्ट प्रारूप (दैनिक रिपोर्टिंग प्रारूप) में एक दैनिक पुष्टि abccjaipur@rbi.org.in पर लेखा परीक्षा बजट और समन्वय कक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इ. गैर-वित्तीय:

उपर्युक्त लेन-देन आधारित वाउचरों/दावों/बिलों आदि की 100% जांच करने के अलावा, समवर्ती लेखा परीक्षक निम्नलिखित की जांच/संवीक्षा भी करेगा:

क. लेखा परीक्षा कराने वाले अधिकारियों द्वारा किए गए केन्द्रीय कार्यालय के दिशानिर्देशों/मैनुअल प्रावधानों के अनुसार अधिकारियों की संयुक्त अभिरक्षा के अंतर्गत धारित चेक बुकों/स्टाम्प और अन्य कीमती वस्तुओं की औचक लेखा परीक्षा जांच। समवर्ती लेखा परीक्षक छमाही में कम से कम एक बार ऐसा करेगा।

ख. उचंत खाता, विविध जमा खाता आदि के सही मासिक विवरण तैयार करना और समय पर प्रस्तुत करना और अन्य मासिक विवरण डीजीबीए, केंद्रीय कार्यालय को अग्रेषित किए जाने हैं। इन संवेदनशील खातों में दो माह से अधिक की लंबी और उच्च मूल्य की बकाया प्रविष्टियों की सूची संलग्न की जाएगी और रिपोर्ट में उन पर टिप्पणी दी जाएगी।

ग. कार्यालय में मैनुअल निर्धारित रजिस्टरों का रखरखाव और सभी बकाया प्रविष्टियों का अनुवर्तन।

घ. मासिक और तिमाही आधार पर प्रभार खाते में शेष राशियों का सामंजस्य, निगरानी और प्रमाणीकरण करना; अनुमोदित बजट आबंटन की तुलना में सीएसबीडी दिशानिर्देशों के अनुसार सुझाए गए प्रभार खाते की समीक्षा।

ङ. व्यक्तिगत स्टाफ आवास ऋण वसूली खाता शीट के कुल बकाया शेष का जीएल और एसजीएल खाता शेष के साथ मासिक बेलेंसिंग/समाधान।

च. स्टाफ आवास ऋण खातों के बकाया शेष पर वार्षिक ब्याज का आवेदन, और बैंक की परिसंपत्तियों की बिक्री या अन्यथा से कमीशन खाते, विनिमय खाता, छूट खाता, लाभ और हानि खाते में लेखांकन प्रविष्टियों को पारित करना, मूल्यह्रास और अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधान खाते और डीजीबीए केंद्रीय कार्यालय के दिशानिर्देशों आदि के अनुरूप अर्ध-वार्षिक समापन / वार्षिक समापन खातों आदि का आहरण करना।

छ. कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा जांच के लिए सुझाए गए किसी भी केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित विवरण/नियंत्रण विवरण।

ज. समवर्ती लेखा परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में लेखा परीक्षित बैंक के आय खाते में ब्याज, विनिमय, कमीशन, छूट आदि का कोई लीकेज न हो और बैंक के संबंधित कार्यालय में प्रतिनिधि केंद्रीय कार्यालय में विभिन्न योजनाओं और कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाओं पर निर्धारित परिपत्र/अनुदेश/दिशानिर्देश कोई एकतरफा परिवर्तन नहीं करते हैं/नहीं करते हैं। संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के बिना किए गए किसी भी आय लीकेज/विचलन को तत्काल कार्रवाई/सुधार के लिए संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को प्रस्तुत मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सूचित किया जा सकता है।

झ. समवर्ती लेखा परीक्षक को वास्तविक लेनदेन/संस्वीकृतियों के संदर्भ में प्रणाली में प्रविष्टियों का सत्यापन करना चाहिए।

ञ. बैंक की संपत्तियों के बीमा की जांच।

ट. एचआरएमडी (सीईएस) में पेंशन राशि की गणना की जांच।

ठ. बैंक की नई अचल संपत्ति नीति का पालन और संपदा विभाग द्वारा जड़ स्टॉक के मिलान का सत्यापन।

ड. एजेंसी लेनदेन से संबंधित दैनिक स्क्रॉल और डेटा की जाँच और लेखा परीक्षा।

ई. <u>कराधान</u>:

1. समवर्ती लेखा परीक्षक को सभी सांविधिक करों और उनकी विवरणियों के निर्धारण में बैंक के कर्मचारियों की सहायता करनी चाहिए।

2. समवर्ती लेखा परीक्षक को आयकर विवरणियों के संबंध में स्रोत पर काटे गए कर/स्रोत पर एकत्रित कर की शुद्धता की जांच और पुष्टि करनी चाहिए (उदाहरण के लिए, लागू दर, कटौती का समय और प्रेषण का

समय आदि), संबंधित प्राधिकारियों के साथ सभी लागू विवरणियों को समय पर दाखिल करना सुनिश्चित करने में सहायता करना, तैयार करना, संकलित करना और सहायता करना।

3. सफल फर्म निम्नलिखित पहलुओं को कवर करते हुए निर्दिष्ट अंतराल पर बैंक के सभी जीएसटी रिटर्न (वर्तमान जीएसटी रिटर्न - जीएसटीआर 7/जीएसटीआर 1/जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 और 9सी) (और कोई अन्य संबंधित रिटर्न जो बाद में लागू हो सकते हैं) दाखिल करने में भी सहायता करेगी:

क. जीएसटी नियमों, कानूनों (और आरबीआई दिशानिर्देशों के सीटीसी), जिम्मेदारियों, समयसीमा, नई / संशोधित अधिसूचनाओं और रिटर्न आदि की जांच, व्याख्या करना, समझना जो मौजूदा जीएसटी नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

ख. शुद्धता के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत चालान की जांच (यानी, दिए गए एचएसएन कोड के लिए जीएसटी की दर, एसजीएसटी / आईजीएसटी की प्रयोज्यता, इंट्रा / अंतरराज्यीय लेनदेन की जांच, जीएसटीआईएन नंबर आदि) और कार्यालय की समग्र जीएसटी देयता पर पहुंचना। हस्ताक्षर और स्टाम्प के साथ प्रत्येक चालान पर जीएसटी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण।

ग. प्रत्येक रिटर्न के लिए डेटा का संकलन और रिटर्न दाखिल करने से पहले आवश्यक जांच और संतुलन करना, जिसमें आईटीसी प्राप्त करने और दावा करने के लिए गणना, समाधान और मिलान शामिल है।

घ. संबंधित विभाग द्वारा प्रदान किए गए डेटा के लिए ई-कुबेर जीएल स्टेटमेंट के साथ क्रॉस-वेरिफिकेशन।

ङ. प्रत्येक रिटर्न के लिए सरकार के जीएसटी पोर्टल पर सही जीएसटी डेटा अपलोड करना सुनिश्चित करना।

च. जीएसटी पोर्टल पर चालान तैयार करना तथा रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से कम से कम एक दिन पहले एनईएफटी के माध्यम से धन प्रेषण के लिए आईबीडी अधिकारियों को प्रति उपलब्ध कराना।

छ. अंतिम तिथि से पहले बिना किसी देरी के रिटर्न दाखिल करना सुनिश्चित करना (सुनिश्चित करें कि यह शनिवार/रविवार/छुट्टी के दिन न किया जाए)। जीएसटी फाइलिंग में देरी या गलत रिपोर्टिंग और उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी जुर्माने का वहन बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में जुर्माना और जिम्मेदारी पूरी तरह से फर्म की होगी।

ज. गतिविधियों और संबंधित क्षेत्रों के पूरा होने पर मासिक और वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करना।

झ. यदि आवश्यक हो, तो शिकायत दर्ज करना और संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ टिकट बंद करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करवाना।

ञ. कर नोटिस प्राप्त होने, स्पष्टीकरण मांगे जाने आदि की स्थिति में आरबीआई जयपुर को परामर्श और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना।

ट. कार्यालय के ई-इनवॉइस से संबंधित कोई भी ऑन-साइट कार्य, जैसे इनवॉइस लिंक करना आदि।

ठ. बैंक द्वारा मांगे जाने पर, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के सभी कर्मचारियों को नवीनतम GST कानूनों, रिटर्न आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना।

ड. कार्य का प्रबंधन केवल ऑन-साइट ही किया जाना है। कोई भी डेटा ईमेल/भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

ढ. डेटा संकलन, जांच और शेष, रिटर्न दाखिल करने और ई-चालान बनाने के लिए ऑन-साइट सहायता प्रदान की जाएगी।

ण. अनुबंध की अवधि के दौरान, लेखा परीक्षक को भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर की ओर से पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं का आकलन करना होगा।

त. रिटर्न दाखिल करने में कोई भी संशोधन, नए नियम, सरकार द्वारा अधिसूचनाएँ, रिटर्न में कोई भी संशोधन, लेखा परीक्षक द्वारा पूरी तरह से अनुपालन किया जाना चाहिए।

थ. लेखा परीक्षक को एक महीने के सभी रिटर्न पूरे होने पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह दर्शाया जा सकता है - दाखिल किए गए रिटर्न के प्रकार, दाखिल करने की तिथि और यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि गतिविधियाँ बिना किसी देरी के सफलतापूर्वक पूरी हो गईं।

द. बैंक गैर-कार्य शनिवार/रविवार/छुट्टी के दिन काम करने की कोई विशेष अनुमति नहीं दे सकता है। गतिविधियाँ सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा से पहले कार्य दिवसों में पूरी होनी चाहिए।

ध. फर्म से अपेक्षा की जाती है कि वह निर्दिष्ट कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं की पहचान करे और रिपोर्ट करे ताकि बैंक, यदि संभव हो तो, उन्हें दूर कर सके।

न. जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत निर्धारित जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के संबंध में फर्म की ओर से कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

ऩ. बैंक के पास पूरे डेटा का स्वामित्व होगा।

प. फर्म रिटर्न दाखिल करने के संबंध में, यदि आवश्यकता पड़े, तो फर्म को बैंक को परामर्श सेवाएँ प्रदान करनी होंगी।

4. समवर्ती लेखा परीक्षक को जीएसटी दरों/नियमों/कानूनों में परिवर्तन, न्यूनतम मजदूरी (आधार दर, ईएसआईसी, पीएफ, आदि) में परिवर्तन के बारे में कार्यालय को समय-समय पर संबंधित सरकारी विभागों द्वारा सूचित करना चाहिए, ताकि कार्यालय परिवर्तनों का तत्काल कार्यान्वयन कर सके।

उ. <u>शेष राशि की पुष्टि</u>:

समवर्ती लेखा परीक्षक निम्नलिखित कार्य करेगा:

क) भारतीय रिज़र्व बैंक के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में लेखा-बही, अभिलेख, रजिस्टर, केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित आवधिक नियंत्रण विवरणी और विवरण आदि का समवर्ती लेखा-परीक्षण।

ख) लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित किए जाने वाले रजिस्टरों में विविध रजिस्टर, प्रभार रजिस्टर, बयाना राशि जमा/सुरक्षा जमा रजिस्टर, बैंक गारंटी रजिस्टर आदि शामिल हो सकते हैं।

ग) समवर्ती लेखा परीक्षक जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के परामर्श से सहमत तिथियों/दिनों पर सीबीएस/ई-कुबेर में भौतिक/डिजिटल मोड में वाउचर/अभिलेख/रजिस्टर का लेखा-परीक्षण करेगा।

घ) सामान्य खाता बही खाते/सहायक सामान्य खाते/सहायक अभिलेख/रजिस्टर, जैसा कि निर्धारित है, सीबीएस/ई-कुबेर में तैयार और उचित रूप से अनुरक्षित किए जाते हैं।

ड़) समवर्ती लेखा परीक्षक, विभाग के प्रभारी अधिकारी के ध्यान में, लिखित रूप में, उपरोक्त (क) से (घ) में देखी गई किसी भी विचलन/अनियमितता/कमी को लाएगा जो बैंक के व्यय नियमों/बैंकों के सामान्य प्रशासन मैनुअल/केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित निर्देशों/दिशानिर्देशों के साथ असंगत हो और बिना किसी अनावश्यक देरी के, अनियमितता के तत्काल सुधार/सुधार सुनिश्चित/व्यवस्था करेगा।

च) प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को तैयार किए गए साप्ताहिक कार्य विवरण की सत्यता प्रमाणित करें, जिसे डीजीबीए केंद्रीय कार्यालय को भेजा जाना है।

छ) आय और व्यय खातों, मृत स्टॉक खातों, ऋण खातों और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संचालित किसी भी अन्य खाता/जीएल शीर्ष में शेष राशि की मासिक पुष्टि प्रमाणित करें।

ज) आय समीक्षा विवरण की सत्यता प्रमाणित करें, जिसमें अर्जित लेकिन प्राप्त नहीं हुई आय/ किया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया व्यय शामिल है। उक्त विवरण जून, नवंबर और दिसंबर को समाप्त महीनों के लिए डीजीबीए केंद्रीय कार्यालय को भेजा जाना आवश्यक है।

ऊ. <u>अन्य</u>:

1. सफल बोलीदाता, लेखापरीक्षित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी चूक या चूक के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे मामले में, बैंक भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान को ऐसी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा वह उचित समझे।

2. सभी वित्तीय लेनदेन (₹30,000/- तक के चिकित्सा और अन्य विभिन्न प्रतिपूर्तियों से संबंधित स्टाफ संबंधी नियमित बिलों को पूर्व-भुगतान लेखापरीक्षा से छूट दी जाएगी) का पूर्व-भुगतान (मंजूरी के बाद) चरण में समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन होना चाहिए ताकि बैंक के नियमों और विनियमों के साथ-साथ वैधानिक और नियामक अनुपालन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जिनके लिए बिना किसी अपवाद के भुगतान के बाद वित्तीय लेनदेन की शत-प्रतिशत जाँच आवश्यक है।

3. सफल बोलीदाता फर्म/कंपनी को प्रमाणित करना चाहिए कि उन्होंने लेनदेन की शत-प्रतिशत जाँच की है और संबंधित विधियों/नियमों/अधिनियमों में निर्धारित वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का शत-प्रतिशत अनुपालन किया गया है।

समवर्ती लेखा परीक्षक मासिक वैधानिक और विनियामक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि उन्होंने लेन-देन की 100% जाँच की है और भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर द्वारा संबंधित

क़ानूनों/नियमों/अधिनियमों में निर्धारित वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं का 100% अनुपालन किया गया है।

4. लेखापरीक्षा परीक्षा फर्म को तत्काल सुधार के लिए कमियों पर एक दैनिक रिपोर्ट और अगले महीने की 3 तारीख तक महीने के दौरान देखी गई प्रमुख कमियों पर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

5. समवर्ती लेखा परीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह लेखा परीक्षा के उद्देश्य से बैंक द्वारा विकसित अनुप्रयोग - लेखा परीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) से स्वयं को परिचित कर ले और रिपोर्ट/रिपोर्टें प्रस्तुत करे तथा बैंक द्वारा अपेक्षित कार्रवाई पैरा (संशोधित पैरा सहित) बनाए।

6. समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म को सलाह दी जाती है कि वे अभिलेखों की जाँच/लेखा परीक्षा करते समय गुलाबी रंग के पेन का उपयोग करें और जाँच के अधीन अभिलेखों पर दिनांक और आद्याक्षर के साथ "जाँच/लेखा परीक्षा" की रबर स्टैम्प लगाएँ।

VIII. नियुक्ति संबंधी जानकारी की सांकेतिक सूची

1. आरबीआई जयपुर के लिए अनुमानित न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ₹94,000/- (केवल चौरानबे हज़ार रुपये) होगा, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। उपरोक्त अनुमानित पारिश्रमिक तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा और नवीनीकरण की स्थिति में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पारिश्रमिक का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-जे के अनुसार स्रोत पर आयकर और लागू दरों के अनुसार जीएसटी टीडीएस की कटौती के बाद किया जाएगा।

2. लेखापरीक्षा दल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (पार्टनर/योग्य वेतनभोगी सीए) और कम से कम पाँच योग्य आर्टिकल असिस्टेंट शामिल होंगे जो बैंक के सभी कार्यदिवसों में और ज़रूरत पड़ने पर रविवार/छुट्टियों के दिनों में नियमित रूप से ऑडिट करेंगे। ऑडिट टीम का पर्यवेक्षण फर्म के एक अन्य वरिष्ठ पार्टनर द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा। ऑडिट टीम को कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए और बैंक के कार्य समय शुरू होने से पहले एबीसीसी के प्रभारी से प्रतिदिन मिलना चाहिए।

3. उपर्युक्त न्यूनतम अपेक्षित संख्या के अभाव में, उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था पहले से ही कर ली जानी चाहिए।

4. समवर्ती लेखा परीक्षकों (सीए) की नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, अर्थात 01 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक। तत्पश्चात, बैंक द्वारा सीए के कार्यनिष्पादन की वार्षिक समीक्षा के अधीन, इसे दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

5. कोई भी पक्ष लिखित रूप में तीन स्पष्ट कैलेंडर माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. सफल बोलीदाता द्वारा अनुबंध के प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना इस प्रकार दी जाएगी कि प्रस्ताव जारी होने की तिथि से सात कैलेंडर दिवसों के भीतर रिज़र्व बैंक को स्वीकृति प्राप्त हो जाए। इस अवधि के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार करने और तदनुसार सूचित न करने पर प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा।

IX. नियुक्ति के नियम और शर्तें

1. बैंक से आवेदन की स्वीकृति के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, सफल आवेदक उसमें निर्दिष्ट तिथि से अनुबंध को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगा। सफल बोलीदाता मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा और राजस्थान में लागू स्टाम्प कानूनों के अनुसार उक्त समझौते पर उचित और आवश्यक स्टाम्प शुल्क राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। साझेदारी फर्मों के मामले में, फर्म की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर साझेदारों और/या फर्म की ओर से अधिकृत साझेदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे। इसके बाद, बैंक और सफल बोलीदाता के बीच अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।

2. यह पारस्परिक सहमति है कि मूल अनुबंध बैंक द्वारा अपने पास रखा जाएगा और अनुबंध की प्रमाणित प्रति सफल बोलीदाता द्वारा रखी जा सकती है। बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश और आगे उल्लिखित विशेष शर्तें सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले अंतिम अनुबंध/अनुबंध का आधार होंगी।

3. बैंक और सफल आवेदक के बीच अनुबंध के नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं:

क. कार्य का दायरा ई-निविदा दस्तावेज़ संख्या आरबीआई/जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/3/25-26/ईटी/324 दिनांक 22 जुलाई, 2025 में निर्दिष्ट है, साथ ही उसमें संलग्न सांकेतिक सूची और सारांश भी दिया गया है। इन दोनों दस्तावेज़ों को अनुबंध का अभिन्न अंग माना जाएगा। कार्य का दायरा संपूर्ण प्रकृति का नहीं है।

ख. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-जे के अनुसार, स्रोत पर आयकर की कटौती के बाद पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए फर्म को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बिलों से की गई टीडीएस कटौती के समर्थन में हर तिमाही में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कोई भी अतिरिक्त अधिभार/कर (समय-समय पर लागू) भी काटा जाएगा। इसके अलावा, मासिक पारिश्रमिक का भुगतान करते समय बैंक द्वारा जीएसटी प्रावधानों के अनुसार लागू दरों पर जीएसटी पर टीडीएस भी काटा जाएगा।

ग. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा और मासिक पारिश्रमिक के लिए सभी तरह से पूर्ण बिल मासिक आधार पर सीए द्वारा तैयार किया जा सकता है और इसका निपटान सभी लागू वैधानिक करों यानी जीएसटी आदि की कटौती के बाद किया जाएगा। भुगतान पूर्ण बिल जमा करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा।

घ. फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट/पार्टनर की सभी कार्य दिवसों में कार्य समय के दौरान उपस्थिति अनिवार्य है। ऑडिट टीम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (पार्टनर/योग्य वेतनभोगी सीए) और कम से कम पाँच योग्य आर्टिकल असिस्टेंट शामिल होंगे जो सभी कार्य दिवसों में और यदि आवश्यक हो तो रविवार/छुट्टियों के

दिन भी नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। ऑडिट टीम का पर्यवेक्षण फर्म के एक अन्य वरिष्ठ पार्टनर द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा।

ङ. उपरोक्त कर्मचारियों की उपस्थिति पर बैंक द्वारा निगरानी रखी जाएगी। तैनात कर्मचारियों में से किसी एक या अधिक की अनुपस्थिति/उपयुक्त समान/समतुल्य स्थानापन्न कर्मचारी के अभाव में प्रतिदिन ₹2,000/- (केवल दो हज़ार रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा और देय राशि से वसूल किया जाएगा तथा शेष राशि फर्म द्वारा देय होगी।

च. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक में नियुक्त प्रत्येक योग्य लेख सहायक कम से कम आठ महीने की अवधि के लिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक वर्ष के लिए निरंतर कार्यरत रहे। कार्मिकों का रोटेशन इस प्रकार होना चाहिए कि लेखों के प्रतिस्थापन की पूर्व सूचना (कम से कम 10 कार्यदिवस) दी जाए और निविदा में निर्धारित आवश्यक योग्यता सुनिश्चित करने की पुष्टि की जाए। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, फर्म द्वारा तैनात पूरी टीम में फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए।

छ. फर्म/कंपनी अपने सभी कर्मचारियों या एजेंटों को, जो बैंक परिसर में संबंधित कार्य करेंगे, पहचान पत्र प्रदान करेगी। सभी कर्मचारियों और एजेंटों को बैंक परिसर में कार्य करते समय हर समय पहचान पत्र धारण करना होगा।

ज. फर्म/कंपनी को अपने कार्मिकों को बैंक परिसर में ड्यूटी पर नियुक्त करने से पहले उनके चरित्र और पूर्ववृत्त पर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट तथा इस अनुबंध के तहत प्रदान की जाने वाली आयु, शैक्षिक योग्यता, नाम, आधार कार्ड और स्थायी पते से संबंधित अन्य विवरण, उनके पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ प्राप्त करना होगा।

झ. यदि फर्म एमएसएमई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र बैंक को प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध के दौरान इसमें किसी भी परिवर्तन की सूचना बैंक को समय पर दी जानी चाहिए।

ञ. फर्म को बैंक में ड्यूटी पर लगे अपने कर्मचारियों/वस्तुओं को पर्याप्त बीमा कवर (जैसा लागू हो) भी उपलब्ध कराना चाहिए।

ट. सीए, अनुबंध अवधि के दौरान लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले नुकसान, क्षति या दावों के खिलाफ और सीए द्वारा कदाचार, चूक और लापरवाही के कारण सीए द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए रिज़र्व बैंक, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें उचित बनाए रखेगा।।

ठ. चार्टर्ड एकाउंटेंट या उनके कर्मचारी आरबीआई परिसर के परिसर, संपत्ति, फिक्सचर, फिटिंग आदि का उपयोग अपनी नौकरी से संबंधित कार्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे और आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए सभी उपकरणों और सामग्रियों की पर्याप्त देखभाल के लिए जिम्मेदार होंगे।

ड. भागीदार सीए/वरिष्ठ भागीदार सीए/प्रबंध भागीदार सीए (आवश्यकतानुसार) को बैंक की प्रबंधन टीम/विभागाध्यक्षों के साथ समवर्ती लेखा परीक्षकों की आवधिक समीक्षा बैठकों में भाग लेना होगा, जब भी उन्हें कार्यालय के कामकाज की समीक्षा करने और कर कानूनों/संरचना में परिवर्तन और बैंक पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाएगा।

ढ. सीए बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं करेगा, हस्तांतरित नहीं करेगा या सौंपेगा नहीं।

ण. यह सुनिश्चित करना चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़िम्मेदारी होगी कि इस अनुबंध की शर्तों के तहत दायित्वों का विधिवत पालन किया जाए। यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपने किसी भी दायित्व/कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है या किसी भी सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बैंक बिना कोई कारण बताए उसकी नियुक्ति समाप्त कर सकता है।

त. **<u>वाणिज्यिक शर्तें और मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान:</u>** समझौते के तहत किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को पारस्परिक रूप से एकमात्र मध्यस्थ यानी क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर को संदर्भित किया जाएगा, और लिखित रूप में उनका निर्णय, सीए फर्म पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। तथापि, यदि पक्ष अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, मामले को पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के पृष्ठ 31 के प्रावधानों या किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनर्मूल्यांकन के अनुसार आयोजित किया जाएगा और इसके तहत बनाए गए नियम और समय के लिए लागू इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे। मध्यस्थ का अवार्ड पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का कानूनी क्षेत्राधिकार केवल जयपुर होगा।

थ. **गैर-प्रकटीकरण खंड:** सीए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को बैंक की अवसंरचना/प्रणाली/उपकरण आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान सीए के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है और इसे हर समय सख्त गोपनीयता में रखेगा।

द. सीए अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा। सीए बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा। सीए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण न करने के दायित्व पूरी तरह से पूरे हों। प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में सीए के दायित्व किसी भी कारण से इस अनुबंध की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

ध. किसी भी पक्ष (या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति) की इस समझौते के तहत किसी भी दायित्व (भुगतान दायित्व के अलावा) को पूरा करने में विफलता के लिए कोई देयता या जिम्मेदारी नहीं होगी, जब तक कि और उस सीमा तक कि ऐसे दायित्व की पूर्ति को अप्रत्याशित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप रोका, निराश, बाधित या विलंबित किया जाता है।

न. फर्म सभी केंद्रीय और राज्य कानूनों, विभिन्न करों (आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, आदि), श्रम और औद्योगिक कानूनों, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, मुआवजा, ईपीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी आदि के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी, जो आरबीआई को सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात व्यक्तियों से संबंधित हैं।

ऩ. यदि लेखापरीक्षक फर्म/कंपनी दिवालियेपन का कोई कार्य करती है या दिवालिया घोषित की जाती है या निगमित कंपनी होने के कारण उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा या स्वेच्छा से समापन के लिए प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन होगा, जैसा भी मामला हो, ऐसे दिवालियेपन या समापन के कार्यों में, उसे/उसे/उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के सात दिनों के भीतर बैंक की उचित संतुष्टि के लिए यह दिखाने में असमर्थ होगा कि फर्म नियुक्ति को पूरा करने और उसके लिए सुरक्षा देने में सक्षम है, यदि बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित है।

प. **समाप्ति खंड:** उपर्युक्त में निहित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, बिना कोई कारण बताए और किसी भी मुआवजे का भुगतान किए बिना, तीन कैलेंडर महीनों के लिखित नोटिस द्वारा इस अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का हकदार होगा, यदि

- अ) बैंक की राय में (जिस पर सफल बोलीदाता द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और यह सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा) सफल बोलीदाता बैंक की संतुष्टि के लिए इस अनुबंध को लागू करने में विफल रहता है या इनकार करता है, और/या
- आ) सफल बोलीदाता इस अनुबंध/निविदा के किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन करता है, और/या
- इ) सफल बोलीदाता को दिवालिया घोषित किया जाता है, या उसके लेनदारों के साथ अनुबंध किया जाता है, या सफल बोलीदाता की संपत्ति या संपदा के किसी भी हिस्से के लिए संकट या निष्पादन या अन्य प्रक्रिया लागू की जाती है या रिसीवर नियुक्त किया जाता है, और/या
- ई) किसी भी कारण से, सफल बोलीदाता इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से अयोग्य हो जाता है, और/या
- उ) सफल बोलीदाता या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंधन में बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन होता है।
- ऊ) अनुबंध के किसी भी चरण में, फर्म द्वारा तथ्यों को छिपाया जाता है।

चूक के कारण अनुबंध की समाप्ति पर, बैंक को ऐसी आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे।

किसी भी कारण से इस अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, सफल बोलीदाता/या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति या उसके एजेंट बैंक से क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति या अन्यथा किसी भी राशि या राशि के हकदार नहीं होंगे।

यदि फर्म सेवाएँ समाप्त करना चाहती है, तो उसे बैंक को इसकी सूचना देनी होगी।

<u>यौन उत्पीड़न की रोकथाम खंड</u>: ऑडिट फर्म और उसके सदस्य "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। बैंक के परिसर के भीतर लेखापरीक्षा फर्म के कर्मचारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत फर्म द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और फर्म शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। लेखापरीक्षा फर्म इस प्रयोजन के लिए, जहां भी लागू हो, आंतरिक शिकायत समिति के गठन की पुष्टि करेगी।

i. बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध लेखापरीक्षा फर्म के किसी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।
ii. लेखापरीक्षा फर्म किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगी जिसे भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है यदि घटना में फर्म के कर्मचारी शामिल हैं, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि फर्म के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।
iii. ऑडिट फर्म कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

4. करार पर हस्ताक्षर होने के बावजूद, आवेदन की रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित स्वीकृति अपने आप में रिज़र्व बैंक और बोली लगाने वाले व्यक्ति के बीच बाध्यकारी करार नहीं होगी, चाहे ऐसी संविदा बाद में निष्पादित की गई हो या नहीं।

5. ऑडिट फर्म उनके द्वारा देखे गए किसी भी लेनदेन के संबंध में उनकी ओर से किसी भी चूक या कमीशन के लिए जिम्मेदार होगी। यदि लेखापरीक्षा फर्म के कामकाज में चूक या कमीशन का कोई गंभीर कार्य पाया जाता है, तो बैंक ऐसे कार्यों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान को रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो वे उचित समझते हैं।

6. फर्म अपने कर्मियों को बैंक की व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) के अनुसार कार्य करने के लिए जागरूक करेगी। व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, न्यूनतम आवश्यक संख्या की अनुपस्थिति के मामले में उपयुक्त स्थानापन्न व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

7. फर्म की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला लेखापरीक्षित वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ-हानि विवरण पूछे जाने पर बैंक को उपलब्ध कराना होगा।

8. विभागों के कामकाज के पहलुओं पर किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी को उसके कारणों से समर्थन दिया जाना चाहिए।

9. **आईएस नीति का अनुपालन:** ऑडिट फर्म बैंक की सूचना सुरक्षा नीतियों का कड़ाई से पालन करेगी, जिसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार फर्म पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

10. **अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर**:

i. बोलीदाताओं को सामान्य अनुदेश और इसके पहले संदर्भित नियम और शर्तें सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले अंतिम अनुबंध का आधार होंगी।

ii. साझेदारी फर्मों के मामले में फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा को फर्म के भागीदार द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

iii. निविदा की स्वीकृति के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता उसमें निर्दिष्ट तारीख से अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा। वह मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। वह राजस्थान में लागू स्टाम्प कानूनों के अनुसार उक्त अनुबंध पर उचित और आवश्यक स्टाम्प शुल्क राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

iv. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में बैंक और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन नहीं करेगी, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

v. फर्म को एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (स्थानीय स्टाम्प कानून के अनुसार मूल्य) पर एक निर्दिष्ट प्रारूप में एक हलफनामा सह क्षतिपूर्ति निष्पादित करने की आवश्यकता होगी, जो हमारे सिस्टम और प्रक्रियाओं की गोपनीयता और गोपनीयता के रखरखाव की पुष्टि करता है।

11. बैंक को इस निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में कानून की अदालत में जाने का अधिकार है।

12. दिनांक 22 जुलाई 2025 को आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित निविदा दस्तावेज़ संख्या आरबीआई/जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/3/25-26/ईटी/324में विस्तृत नियम और शर्तें और कार्य का दायरा, फर्म द्वारा सहमत/पालन किया जाएगा।

(फर्म की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक ए

निविदा स्वीकार करने की सहमति

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
रामबाग सर्कल, टोंक रोड
जयपुर - 302004

भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए निविदा
01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त कार्य से संबंधित आवश्यकताओं, शर्तों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने और कार्य स्थल का दौरा करने और उसकी जांच करने तथा निविदा को से संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्द्वारा मात्राओं की संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और निविदा की शर्तों और इसके साथ संलग्न अनुबंध की शर्तों के अनुसार समवर्ती लेखा परीक्षा करने के लिए अनुबंध लेने का प्रस्ताव करते हैं।

2. हम इस बात पर भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग। के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की यह अवधि बैंक और हमारे बीच पारस्परिक सहमति से निर्धारित अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

3. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम निविदा की सभी शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूँ/हैं और इसमें किसी भी चूक की स्थिति में, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशितियों या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी धनराशि का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि निविदा दस्तावेज में निहित शर्तों और अनुबंध के लेखों में अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ निर्धारित किया गया है।
4. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

दिनांक _____ 2025 का _____ दिन

के लिए और की ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम:
पदनाम:

स्थान:

तारीख:

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए) ।

गवाहों:

(1) नाम के साथ हस्ताक्षर,
पता और तारीख

(2) नाम के साथ हस्ताक्षर,
पता और तारीख

अनुबंध-बी

भाग I - तकनीकी बोली

फॉर्म- 1: समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन: तकनीकी बोली प्रपत्र

(*परिशिष्ट 1,2 और 3 के साथ*)

1	सीए फर्म का नाम	
2	संविधान	
3	पिन कोड के साथ पूरा डाक पता	
4	सीए फर्म की शाखाओं की संख्या और स्थान, यदि कोई हो	
5	मोबाइल नंबर	
6	टेलीफ़ोन का नंबर	
7	ईमेल पता	
8	सीए फर्म की स्थापना की तिथि **[दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं**	
9	आईसीएआई के साथ फर्म पंजीकरण संख्या **[दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं]**	
10	यूनिक कोड नंबर – आरबीआई	
11	फर्म की आरबीआई श्रेणी	
12	जीएसटी नंबर **[जीएसटी पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत की जा सकती है]**	
13	स्थायी खाता संख्या (पैन) **[पैन की कॉपी जमा की जा सकती है]**	
14	क्या वर्तमान में आरबीआई समवर्ती लेखा परीक्षा कूलिंग पीरियड में है?	
15	क्या पहले आरबीआई में सांविधिक केंद्रीय / शाखा / समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में काम किया हो?	
16	पूर्णकालिक फेलो चार्टेड एकाउंटेंट्स (एफसीए) भागीदारों का नाम और सदस्यता संख्या जो विशेष रूप से पूरे कैलेंडर वर्ष में फर्म के साथ जुड़े हुए थे, जो पैनल के वर्ष से ठीक पहले थे।	

	[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 में प्रदान किया जा सकता है]	
17	पूर्णकालिक सीए पार्टनर का नाम और सदस्यता संख्या जो विशेष रूप से पांच साल से अधिक और सात साल तक फर्म से जुड़े थे। **[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
18	पूर्णकालिक सीए पार्टनर का नाम और सदस्यता संख्या जो विशेष रूप से सात साल से अधिक और 10 साल तक फर्म से जुड़े थे। **[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
19	पूर्णकालिक सीए पार्टनर का नाम और सदस्यता संख्या जो विशेष रूप से 10 से अधिक वर्षों से फर्म से जुड़े थे। **[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
20	फर्म में कार्यरत योग्य सीए का नाम और सदस्यता संख्या **[नियोजित सीए का विवरण फॉर्म -4 में प्रदान किया जा सकता है]**	
21	केवल लेखापरीक्षा सेवाओं से फर्म के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक कारोबार का औसत (अन्य गतिविधियों जैसे परामर्श) से अलग) **[दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं]**	
22	फर्म में कुशल कर्मचारियों की संख्या (सीए इंटरमीडिएट या उससे ऊपर का समूह 2)	
23	समवर्ती लेखा परीक्षकों / सांविधिक केंद्रीय / शाखा लेखा परीक्षक के रूप में बैंक लेखा परीक्षा में सीए फर्म के पूर्ण वर्षों के अनुभव की संख्या **[बैंक लेखा परीक्षा अनुभव का विवरण फॉर्म -5 में प्रदान किया जा सकता है]**	

24	पूर्णकालिक भागीदारों के नाम और सदस्यता संख्या, जिनके पास आठ या अधिक वर्षों का बैंक सांविधिक लेखापरीक्षा अनुभव है।	
25	समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक केन्द्रीय/शाखा लेखापरीक्षकों के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक लेखापरीक्षा में पिछले अनुभव का विवरण।	
26	पूर्णकालिक सीए पार्टनर्स का नाम और सदस्यता संख्या जिन्होंने अतिरिक्त योग्यता हासिल की है।	
[अतिरिक्त योग्यता का विवरण फॉर्म -3 में प्रदान किया जा सकता है]		
27	क्या सीए फर्म या उसके किसी सीए पार्टनर को पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएएफआरए) द्वारा फटकार लगाई गई थी? यदि हां, तो उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।	
28	क्या सीए फर्म या उसके किसी सीए पार्टनर को पिछले तीन वर्षों में गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा फटकार लगाई गई थी? यदि हां, तो उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।	
29	क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान सीए फर्म या उसके किसी सीए पार्टनर/ओं और/या फर्म के किसी सीए कर्मचारी/कर्मचारियों को पेशेवर कदाचार का दोषी पाया गया था/थे? यदि हां, तो उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।	
30	क्या सीए फर्म ने पिछले तीन वर्षों में निर्धारित तीन वर्षों की अवधि के पूरा होने से पहले आरबीआई द्वारा सौंपे गए समवर्ती ऑडिट को लेने से इनकार कर दिया था या आरबीआई द्वारा इसे सौंपे गए समवर्ती ऑडिट को छोड़ दिया था? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।	
31	क्या फर्म ने वर्तमान में किसी अन्य आरबीआई में समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया है	

	कार्यालय/विभाग? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा	
32	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी, फर्म इंगित करना चाहती है।	

मैं/हम निम्नानुसार घोषणा करते हैं:

क. मैं/हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और हमें अतीत में आरबीआई सहित किसी भी संगठन द्वारा डी-पैनल/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और हम आरबीआई के साथ समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। यदि बैंक को बाद में हमारे द्वारा ऊपर दिए गए विवरण गलत/सत्य नहीं मिलते हैं, तो नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

ख. मैंने/हमने बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं/हम यह भी समझते हैं कि बैंक ने बिना कोई कारण बताए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

स्थान:

दिनांक:

सीए फर्म की मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

फर्म की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 1 (फॉर्म 1 के लिए)
पूर्णकालिक भागीदारों का विवरण

पूर्णकालिक भागीदारों का नाम	**पुरस्कार देने की तिथि**		**फर्म के शामिल होने की तिथि**	**सदस्यता संख्या**	**दूसरा योग्यता ***	बैंक में सांविधिक लेखा परीक्षा के अनुभव का वर्ष
	एसीए	**एफसीए**				

* केवल तभी इंगित करें जब पार्टनर ने निम्नलिखित योग्यताएं हासिल कर ली हों

अतिरिक्त योग्यता	**से**
सूचना प्रणाली में डिप्लोमा (डीआईएसए)	आईसीएआई
प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (सीआईएसए)	ISACA, अमेरीका
प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार (सीपीए)	एआईसीपीए, यूएसए
प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक (सीआईए)	आईआईए, यूएसए
प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक (सीएफई)	एसीएफई, यूएसए।
(i) आईएनडी एएस (ii) फोरेंसिक लेखा और धोखाधड़ी की रोकथाम (iii) सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखा (iv) बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा (v) धन शोधन विरोधी कानून (vi) विदेशी मुद्रा और ट्रेजरी प्रबंधन (vii) माल और सेवा कर	आईसीएआई

फर्म की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 2 (फॉर्म 1 के लिए)

बैंकों की लेखा परीक्षा में फर्म के अनुभव का विवरण

लेखापरीक्षा का प्रकार	बैंक का नाम	शाखा/कार्यालय	बैंकों/भारतीय रिज़र्व बैंक लेखापरीक्षाओं में फर्म का अनुभव (से/से आज तक)

* सांविधिक केन्द्रीय/सांविधिक शाखा/समवर्ती लेखा परीक्षा

फर्म की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 3 (फॉर्म 1 के लिए)

पूर्णकालिक नियोजित सीए का विवरण

कार्यरत सीए का नाम	फर्म में शामिल होने की तिथि	सदस्यता संख्या	अन्य योग्यताएं	अनुभव

फर्म की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध-सी

भाग II - वित्तीय बोली

2: समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन: प्रपत्र

सीए फर्म का नाम	
पूरा पता	
आरबीआई में समवर्ती लेखा परीक्षा करने के लिए मासिक पारिश्रमिक (सभी लागतों सहित और लागू करों को छोड़कर) **(राशि रुपये में - शब्दों और आंकड़ों में)**	

स्थान:

फर्म की मुहर के साथ प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख:

नोट: उपरोक्त वित्तीय बोली फॉर्म केवल सूचना/संदर्भ उद्देश्य के लिए है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करते समय भाग। (यानी, तकनीकी बोली) के साथ उपरोक्त 'वित्तीय बोली' (भाग-II) फॉर्म-2 में राशि का उल्लेख न करें। बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर 'इवेंट कैटलॉग' के तहत 'वित्तीय बोली' दर्ज करनी होगी।

अनुबंध-डी

वचनबंध

हम, मेसर्स .... (फर्म का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय .... (फर्म का पता) है और जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), जयपुर की समवर्ती लेखा-परीक्षा करने का प्रस्ताव है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय / केंद्रीय कार्यालय विभाग के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक / समवर्ती लेखा परीक्षक नहीं हैं और पिछले दो (02) वर्षों के दौरान, यानी 11 अगस्त, 2025 तक, भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय / केंद्रीय कार्यालय विभाग में सांविधिक केंद्रीय / शाखा / समवर्ती लेखा परीक्षा नहीं की है।

(फर्म की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

अनुबंध-ई

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंकरों के शोधक्षमता प्रमाणपत्र का फॉर्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार मेसर्स --------------------------- का नोट किया गया पता के अनुसार हमारे बैंक का प्रतिष्ठित ग्राहक है और उसे ₹11,28,000 (रुपये ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की सीमा तक किसी भी कार्य के लिए अच्छा माना जा सकता है। यह प्रमाण पत्र बैंक या उसके किसी भी अधिकारी पर किसी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
बैंक के लिए

नोट:

1. बैंकर्स का सर्टिफिकेट बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल करने के लिए प्रमाण पत्र।

अनुबंध-एफ़

बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान: तारीख: ______

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
जयपुर - 302004

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर के लिए वर्ष 2025-26 हेतु 1 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु अनुबंध

संदर्भ: एनआईटी/विज्ञापन संख्या तारीख

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय (जिसे इसके बाद आरबीआई कहा गया है) ने उपर्युक्त कार्य (जिसे इसके बाद संविदा कहा जाएगा) के लिए मैसर्स................. (ठेकेदार का नाम) (इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) को अनुबंध प्रदान किया गया है।
और चूंकि उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित पूर्ति के लिए कुल राशि ₹. (केवल रुपए) (राशि अंकों और शब्दों में) के लिए आरबीआई, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय को एक निष्पादन बैंक गारंटी (अनुबंध मूल्य का 5%) प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। हम ---------(बैंक का नाम), (जिसे इसके बाद बैंक कहा जाएगा) मेसर्स ------------ ,ठेकेदार, के अनुरोध पर एतद्द्वारा अनुबंध की शर्तों और नियमों की उचित पूर्ति के लिए निष्पादन गारंटी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को ₹. .... (केवल रुपए) (राशि अंकों और शब्दों में) की सीमा तक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम .... (बैंक का नाम) एतद्द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती से सहमत हैं और वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि ठेकेदार ने उक्त अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग किए जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी आपत्ति के ₹ (केवल रुपयां) (राशि आंकड़ों और शब्दों में) या आरबीआई द्वारा मांगी जा सकने वाली कोई भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि इस तरह की राशि के प्रति हमारी देयता ₹ (रुपये केवल) (आंकड़े और शब्दों में राशि) की राशि से अधिक न हो।

2. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि राशि ₹________ (केवल रुपए) (आंकड़ों और शब्दों में) की सीमा तक की राशि, हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के तुरंत भुगतान किया जाएगा, आरबीआई से लिखित रूप में नोटिस प्राप्त होने पर जिसमें कहा गया है कि राशि उनपर बकाया है उनके कारण है और हम आगे कोई और सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध में या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। हम किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या मध्यस्थ के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवाद के बावजूद आरबीआई को किसी भी मांग की गई धनराशि का भुगतान करेंगे और इस गारंटी के तहत देयता पूर्ण और सुस्पष्ट होगी। हम वचन देते हैं कि उपरोक्त सूचना प्राप्त होते ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

4. यह गारंटी भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्व सहमति के बिना हमारे द्वारानिरस्त नहीं किया जाएगा।

5. मांग के माध्यम से या अन्यथा इसके तहत कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, मेल, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे स्थानीय पते पर पूर्वोक्त के रूप में भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो इसे तब दिया गया माना जाएगा जब इसे पोस्ट किया गया है।

हम आगे सहमत हैं कि –

ए) उक्त संविदा में निर्धारित निबंधन और शर्तों में से किसी के अनुपालन में उक्त ठेकेदार की शर्तों को लागू करने और/या इसके अंतर्गत या आरबीआई द्वारा ठेकेदार को कोई समय देने या किसी प्रकार की रियायत दिखाने से, उससे संबंधित कोई अन्य मामले में, हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत

हमारे दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन से ही पूरी होगी और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹.-----------------की सीमा तक की राशि का भुगतान करने से ही पूरी होगी। इन दायित्वों के अंतर्गत हमारा दायित्व ₹.--------(केवल रुपए) (राशि अंकों और शब्दों में) से अधिक नहीं होगी।

बी) इन विलेखों के तहत हमारी देयता हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों या उनके दायित्वों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या हमारे उक्त घटकों के संघटन में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

सी) यह गारंटी................. तक लागू रहेगी (संविदा अवधि की समाप्ति के तीस दिन के बाद) बशर्ते कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसा चाहे तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताई गई अवधि के लिए उन्हीं नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत किया जाएगा जो इसमें निहित हैं।

d) इसमें निहित गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए आप इस प्रकार कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम पूर्वोक्त रूप से हमारे द्वारा गारंटीकृत ठेकेदार के विरुद्ध आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार हों।जैसा कि पूर्वोक्त है और हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से जमानती और अन्य अधिकारों के हमारे सभी अधिकारों के हमारे सभी अधिकारों का त्याग करते हैं यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।

ङ) यदि किसी कारण से इस गारंटी का विस्तार करना आवश्यक हो, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को ऐसे समय तक बढ़ाने का वचन देते हैं जब तक कि आपको आवश्यकता न हो। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा।

च) इन विलेखों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन विलेखों को _________ पर या उस दिन नवीनीकृत नहीं किया जाता है जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, इस संबंध में केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित प्रमाण पत्र ही निर्णायक प्रमाण हैजो भी बाद की तारीख हो। जब तक हमारे खिलाफ किसी विस्तारित अवधि या--------के भीतर कोई दावा या मुकदमा दायर नहीं किया जाता इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें मुक्त कर दिया जाएगा और हमें हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके साक्ष्य में, मैं/हम बैंक द्वारा विधिवत् अधिकृत होकर, दिनांक ....(माह) ....(वर्ष) को इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और मुहर लगाई है।

के लिए और की ओर से। .... (बैंक का नाम)

अधिकृत बैंक के हस्ताक्षर और मुहर

आधिकारी का नाम:

पदनाम:

बैंक की मुहर/सील

निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्दगी:

गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम:

पता:

गवाह 2

हस्ताक्षर

नाम:

पता:

(नोट: इस बैंक गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे।

अनुलग्नक - जी

पात्रता मानदंड निर्धारित करने और तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए प्रमाणित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं:

क्रमांक	विवरण	अपलोड किए जाने वाले प्रमाणित दस्तावेज
1.	निविदा स्वीकार करने की सहमति	अनुलग्नक A के अनुसार
2.	श्रेणी 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्म होने का प्रमाण	आईसीएआई प्रमाणपत्र
3.	पैन पंजीकरण का प्रमाण	पैन कार्ड की कॉपी
4.	जीएसटी पंजीकरण का प्रमाण	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
5.	बोलीदाता कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी या एलएलपी अधिनियम या साझेदारी फर्म या मालिकाना फर्म के तहत पंजीकृत एलएलपी होना चाहिए	ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की प्रति/निगमन का प्रमाण पत्र/साझेदारी विलेख/इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेज
6.	भागीदारों का विवरण	i. साझेदारी विलेख और/या इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और ii. आईसीएआई फर्म कार्ड
7.	फर्म का अनुभव – वर्षों की संख्या	आईसीएआई फर्म कार्ड
8.	पूर्णकालिक फेलो चार्टर्ड एकाउंटेंट (एफसीए) भागीदारों की संख्या	i. आईसीएआई फर्म कार्ड ii. ज्ञापन और एसोसिएशन के आर्टिकल/सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन/ साझेदारी विलेख और/या इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति
9.	एक ही फर्म के साथ एसोसिएशन - भागीदारों की संख्या	i. आईसीएआई फर्म कार्ड ii. मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन/सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन/ साझेदारी विलेख और/या इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति
10.	वर्तमान में तैनात पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों की संख्या – प्रमुख पेशेवर कर्मचारी	i. सदस्यता संख्या और संबंधित ICAI प्रमाणपत्र ii. नियुक्ति पत्र
11.	कुशल कर्मचारियों की संख्या - आईपीसीसी के समूह II में योग्य	i. समूह II आईपीसीसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के समर्थन में आईसीएआई द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र /

		ii. फर्म द्वारा जारी नियुक्ति पत्र
12.	बैंक लेखापरीक्षा में फर्म के अनुभव का विवरण i) सिस्टम/आईएस ऑडिटर के रूप में ii) समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक केन्द्रीय/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में	अनुभव के प्रयोजन के लिए, केवल वर्षों की संख्या पर विचार किया जाएगा न कि संस्थानों की संख्या पर। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष वर्ष में फर्म ने तीन बैंकों में ऑडिट किया है, तो विचार किए गए वर्षों की संख्या केवल एक होगी और तीन नहीं। अनुभव पत्र वर्षवार अपलोड किए जाने चाहिए।
13.	आरबीआई लेखापरीक्षा में पिछले अनुभव का विवरण और आरबीआई द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षक / सांविधिक केंद्रीय / शाखा लेखा परीक्षक के रूप में प्रदर्शन मूल्यांकन	आरबीआई लेखापरीक्षा के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक नियुक्ति पत्र और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट।
14.	ग्रुप I-IPCC में योग्य अर्ध-कुशल कर्मचारियों की संख्या	फर्म द्वारा जारी नियुक्ति पत्र
15.	अन्य सहायकों की संख्या	फर्म द्वारा जारी नियुक्ति पत्र
16.	ईएमडी	ईएमडी को एबीसीसी, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर को प्रेषित करने का प्रमाण।
17.	सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट	बैंकर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट (निविदा के वार्षिक मूल्य के बराबर)
18.	निविदा कार्य से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज	

*****